MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th August. 1973."

The motion was adopted.

---

15 13 hrs.

RESOLUTION RE DECLARATION OF PRESENT LOK SABHA AS CONSTITUENT ASSEMBLY—*contd*

MR DEPUTY-SPEAKER: We now take up further consideration of the Resolution moved by Shri Bibhuti Mishra He will continue his speech.

श्री बिभूति मिश्र (मोतीहारी) · उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रस्ताव को लाने का क्या कारण है मैं इस को बतलाना चाहता हूं। पिछले ग्राम चुनाव मे जब लोक सभा का चुनाव हुआ तो हमारी नेता ने कहा कि देश से गरीबी हटाओं, यह नारा दिया और उस नारे के ऊपर, समाजवाद के ऊपर हम लोग चुन कर के आए। इस के पहले जब हम लोग अंग्रेजो से स्वाधीनता की लडाई लडते थे तो उस समय सुबह प्रार्थना मे एक मत्र पढा करते थे—

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्।
कामये दुखतप्ताना प्राणिना आर्त्त नाशनम्।

उसका भी मतलब यही था कि हम को दुनिया में कुछ नही चाहिये। देश से गरिबी और दुख दर्द की तकलीफ को हटाना है। उस के बाद यह सविधान बना और यह कैसे बना यह आप को जानना चाहिये।

15.14 hrs

[SHRI S. A. KADER *in the Chair*]

हम अंग्रेजों से स्वाधीनता की लडाई लड रहे थे; उस के बाद उन का कैबिनेट मिशन आया, और कितने ही लोग आए। अंत में उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान मे विधान निर्माण सभा बनाओ। उस समय के जो असेम्बली के सदस्य थे वह साम्प्रदायिक आधार पर चुने गए थे और उन्होंने अपने प्रतिनिधियो को साम्प्रदायिक आधार पर चुन कर भेजा था, कोई राष्ट्रीयता के आधार पर नही चुन कर भेजा था। फिर पीछे फैसला हो गया कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा होगा तो जो हिन्दुस्तान का हिस्सा था उस मे भी उसी साम्प्रदायिक आधार पर जो उस समय की असेम्बली के लोग चुने गए थे, वही विधान निर्मातृ परिषद के बनाने वाले मालिक बने और उस समय जो विधान निर्मातृ परिषद बनी दस लाख आदमियो के पीछे एक आदमी चुना गया। लेकिन वह इनडायरेक्ट एलेक्शन से चुने गए। दस लाख की पापुलेशन से नही चुने गए, जो उस समय की असेम्बली थी, उस असेम्बली ने दस लाख के ऊपर एक आदमी को चुना और मेरे पास बिहार की लिस्ट है, 36 आदमी उस समय थे, आप के पास टाइम हो तो मैं लिस्ट पेश करू, उस से आप को पता चलेगा कि उस मे बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन का बिहार की सार्वजनिक लाइफ से कोई सबध नही था जिन की हिन्दुस्तान के स्वाधीनता सग्राम से कोई मतलब नही था, ऐसे आदमी उस विधान निर्मातृ परिषद मे चुने गए। जिन को हिन्दुस्तान की उस समय की जनता का कोई पता नही था ऐसे लोग उस मे चुने गए। एक तो साम्प्रदायिक आधार पर और दूसरे ऐसे कि जिन का हिन्दुस्तान की जनता से कोई सबध नही था ऐसे लोग चुने गए। हा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे डा० राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, ऐसे लोग भी चुने गए। लेकिन उन मे ऐसे लोग भी चुने गए जो हिन्दुस्तान की जनता की भावना का प्रतिनिधित्व नही करते थे। दूसरे, उस समय

की असेम्बली का चुनाव कैसे हुआ था ? असेम्बली का चुनाव हुआ था प्रापर्टी की बेसिस पर और उन्ही के चुने हुए नुमाइन्दों ने विधान निर्मातृ परिषद को चुना। तो कहने का मतलब यह है कि जो जनता के आदमी थे उन का उस मे स्थान नही था। उनका स्थान था जो धनी वर्ग के थे जिन्होंने असेम्बली बनाई थी। उन के द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप मे चुने गए वह विधान निर्मातृ परिषद में चुने गए।

आज 25 वर्ष हो गए। विधान निर्मातृ परिषद ने जो हिन्दुस्तान का विधान बनाया और हिन्दुस्तान के विधान मे जो प्रीऐम्बल लिखा है उस प्रीऐम्बल को देखने से पता चलता है कि हिन्दुस्तान के अदर उस के अनुसार कोई काम नही हुआ। जो यह सविधान है हमारी सरकार ने खुद 31 बार इस को बदला है। इस के अलावा हमारे माननीय सदस्य बराबर विधान को बदलने के लिए समय समय पर अपना बिल लाए है। हाला कि सरकार ने मजूर नहीं किया है लेकिन उनकी भावना है कि सविधान मे हेरफेर होना चाहिए। तो इस वक्त सबसे उचित यह बात है कि यह लोक सभा चुनी गई, गरीबी हटाओ के नारे पर, समाजवाद के नारे पर। इस पर हम लोग चुनाव लड़े है कि हमारी लोक सभा जो है यह डायरेक्ट चुनाव से आती है। साढ़े सात लाख की आबादी पर आज कास्टीट्यूएंसी बनती है। उस कास्टीट्यूऐंसी से हम आते है और डायरेक्ट चुनाव से आते है और हम जनता की भावना का प्रतिनिधित्व करते है। लेकिन यह संविधान भारतीय जनता के मंसूबो को, उस के मतव्य को प्रकाशित नही करता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस सविधान मे हेरफेर किया जाय, इस सविधान को बदला जाय और बदलने के लिए यह लोक सभा के लोग जो है यही विधान निर्मातृ परिषद् मे अपने को परिवर्तित कर दे। कुछ लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलेगा। तो आप अपने सेशन को कट कर दीजिए। 6 महीने के बजाय तीन महीने बैठिए। और तीन महीने मे विधान निर्मातृ परिषद् बना कर अपना कांसटीट्यूशन बना लीजिए।

अब आप को मे बतलाना चाहता हूं कि उस समय के विधान बनाने वाले कैसे थे? राजा महाराजा और प्रापर्टी क्लास के लोग ऐसे लोग थे जो प्रतिक्रियावादी विचार के थे। ऐसे लोग थे जो हिन्दुस्तान की आजादी मे विश्वास नही करते थे, एक सेकेंड के लिए जेल भी नही गए, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की जिनकी हिम्मत नहीं हुई, 1947 के 12 बजे रात तक हमारे देश के बडे बडे वकील, डाक्टर, प्रोफेसर और बडे बडे ओहदेदार यह समझते थे कि हिन्दुस्तान से अग्रेज नही जायगा, जब हम स्वराज्य की लडाई लडते थे तो बडे बडे लोग कहते थे कि यह विटी पहने हुए, गाव गाव मुठिया माग कर और भीख माग कर क्या अग्रेजो से लडाई लडेगे ? लेकिन हम गरीबो ने दिखला दिया कि हमारी ताकत से अग्रेज यहा से चले गए। लेकिन जो हमारा सविधान बना यह सविधान हिन्दुस्तान की जनता के दिल का रेफ्लेक्शन नही है। यह सविधान हिन्दुस्तान के थोडे से आदमियो की मनोवृत्ति को प्रकाशित करता है।

यह आप के सामने मै रखना चाहता हू, एक किताब है जो प्लानिग कमीशन ने हम लोगो को बाटी है, इस किताब मे लिखा है

"The foreign debt stood at Rs. 7171 crores at the end of 1972-73..... "

7161 करोड़ रुपये का कर्जा हमारे देश के ऊपर हो गया। यह 1972-73 का आंकड़ा है और इस में सूद वगैरह हम लोगों ने दिया है। आगे चल कर कहते है.

"Poverty, in a practical sense, is relative 550 million people live in this country at many economic levels ranging from lavish wealth to utter indigence "

यह हालत इस देश की है । यह सविधान बनने के बाद आज हम लोगों को बाटा गया है । फिर आगे कहते है

"Even among the poorer classes there are various degrees of poverty These many degrees and kinds of poverty have existed in our country for a long time They strike the eye wherever we go Their acceptance as a fact of life is to be seen in the earliest Indian literatures it is a part of the Indian ethos itself"

आगे कह रहे है कि 1960-61 की प्राइसेज मे 20 रुपये जिस की आय थी, आज 40 रुपये के हिसाब से हिन्दुस्तान मे लगभग 70 प्रतिशत गरीब आदमी है पावर्टी लाइन के नीचे हैं।

फिर सविधान वालो ने क्या किया? जब हम लोगों ने 1939 मे सत्याग्रह का आन्दोलन छेड़ा तो गाधी जी ने हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ले कर वायसराय तक को यह अल्टीमेटम भेजा—साढे बाईस हजार रुपये उस समय वाइसराय को तनख्वाह मिलती थी और यहा सविधान बनाने वालो ने 10 हजार रुपये अपने राष्ट्रपति की तनख्वाह रखी । गाधी जी ने वाइसराय से लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक सब को चैलेंज किया कि इतनी तनख्वाह नही होनी चाहिए गरीब जनता के देश मे और फिर वही सविधान बनाने वाले जो थे उन्होने कहा कि दस हजार रुपया राष्ट्रपति को दिया जाय, साढे पाच हजार रुपया सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाय और साढ़े चार और चार हजार रुपया हाई कोर्ट के जज को दिया जाय । इसी तरह जो हमारे यहा के बड़े बड़े अफसर थे उन की तनख्वाह 3 हजार रुपये रखी गई । एम्बैसेडर की तनख्वाह काफी है, गवर्नर की तनख्वाह काफी है । ये सारे लोग हमारे हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की बात कभी नही सोचते थे । सविधान के बनाने वाले जो थे मालूम होता था कि यह उन की जेब का रुपया है, फर्क रहे है । वह हिन्दुस्तान की जनता का प्रतिनिधित्व नही करते थे, हिन्दुस्तान की जनता के दुख दर्द को नहीं जानते थे । इसलिए ऐसा इन्होने सविधान मे रखा ।

आगे मैं बताता हू जो लोग चुने गए थे उन मे अधिकतर फ्रीडम फाइटर नही थे और जो थे भी फ्रीडम फाइटर वह बडे बडे ऊचे तबके मे आने थे, प्रापर्टी वनाम के लोग थे । जो आज लोक सभा है उस म हर तबके के लोग है । गरीब अमीर हर तबके के लोग इस मे है जो जनता की विल को रेप्रेजेन्ट करते हैं । लेकिन उस समय जो चुने गए थे हमारी पार्टी मे भी कुछ लोग थे जो चाहते थे कि ऐसा नही हो लेकिन उन की चली नही जैसे पडित जवाहर लाल नेहरू थे । लेकिन उस म ऐसे लोग भी थे विधान निर्माण परिषद् म जो एडल्ट फ्रेंचाइज भी देना नही चाहते थे ।

मैं आप को बतलाना चाहता हू कि इस मे जो डिस्पैरिटी रखी गई है, आज उस की इन्तहा है । जिस देश के 70 फीसदी लोग पावर्टी लाइन के नीचे हो और 30 फीसदी लोग अच्छी तरह से रहने वाले हों—उस का क्या भविष्य है ? आज किसी डाक्टर के पास जाओ, जब तक 10 रुपये फीस के उस के सामने न रखो, वह देखता ही नही है ।

सभापति जी, "मार्क्स एण्ड मार्क्सिज्म" नाम की किताब निकली है, मैंने उस से नोट लिया है,—उस मे लिखा है कि चाइना हम से पीछे था, लेकिन आज चाइना हम से आगे हो गया है . . . .

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : किस ने कहा है ?

श्री विभूति मिश्र : यह किताब है, इस में लिखा है

SHRI B. V. NAIK: They are capable of blowing bombs..

MR. CHAIRMAN: He is giving a reference; you have to take it

AN HON. MEMBER: He is not reading the reference, he is telling orally.

श्री विभूति मिश्र : हम से वह देश आगे बढ़ गया । दूसरी बात—71 अरब 60 करोड़ रुपया हमारे ऊपर कर्जा हो गया है—मैंने अभी पढ़कर सुनाया है, इसे प्लानिंग कमीशन ने दिया है । जब यह हालत हमारे देश की है और यह संविधान खुद सरकार ने 31 बार तबदील किया, संशोधित किया, तब इस से यह अन्दाजा लगता है कि इस संविधान से मेरा काम नहीं चलेगा, हमको दूसरा संविधान बनाना पड़ेगा, इस के सिवाय कोई दूसरा जरिया नहीं है कि आप लोक सभा को संविधान सभा डिक्लेयर कीजिये ।

आप एजूकेशन को देखिए—पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सेंट कोलम्बस है, नाना-तरह की एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्ज है—उन में गांव के गरीब आदमी नहीं है, जो थोड़े से एलाइड परसन्ज हैं अफसरों के बच्चे है, वे ही इन मे शिक्षा प्राप्त करते है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस देश के राज्य की गद्दी सम्भालते है, वे ही बड़े अफसर बनते हैं । जो आदमी जिस वातावरण मे रहता है, जिन सर्कमस्टान्सज में रहता है उन सर्कमस्टान्सेज का फायदा उठा कर उसी परिस्थिति को कायम रखना चाहता है और वह नहीं चाहता है कि इस देश के गरीबों का भी उद्धार हो, उन को भी आगे बढने का मौका मिले । इसलिए जरूरी है कि संविधान को बदला जाय ।

अब आप देखिये प्रापर्टी में कितना फर्क है—शहरी प्रापर्टी का गांव की प्रापर्टी से हिसाब मिलाइये । गांव में जमीनों की सीलिंग हुई, लेकिन अर्बन प्रापर्टी के बारे मे कुछ नहीं किया । बराबर हमारी पार्टी की मीटिंग मे, ए०आई०सी०सी० के जल्सों मे सरकार ने कहा है कि हम अर्बन प्रापर्टी के बारे मे भी बिल लायेंगे—लेकिन आज तक नही लाये । कारण यह है—इस संविधान मे कुछ ऐसी पेचीदगियां है जिन की वजह से सरकार नही कर पाती । सुप्रीम कोर्ट मे मामले जाते है, पचासों तरह के बखेड़े खड़े हो जाते है, सरकार उन मे परेशान हो जाती है । अभी जरा सा एक जज बदला था, गोखले साहब को दिन भर यहा बैठना पड़ा, जवाब-जवाब देते थक गये । इस लिये सरकार को खुद सोचना चाहिये कि अगर संविधान नही बदलेंगे और यह समझेंगे कि आप इतमिनान के साथ यहा बैठे रहेंगे, तो यहा नही बैठ सकेंगे । एक दिन जनता खुद राज्य को अपने हाथ मे ले लेगी और उसी तरह से हमारा राज्य भी हट जायगा ।

ऐसा कहा जाता है कि रेवोल्यूशन के बाद संविधान बनता है, यह बात सही है । या तो खूनी क्रान्ति हो, या सत्याग्रह की क्रान्ति हो, या फिर मानसिक क्रान्ति होनी चाहिये । मै चाहता हू कि हमारी सरकार के अन्दर क्रान्ति होनी चाहिये कि हमें संविधान को बदलना है । अगर सरकार के अन्दर मानसिक क्रान्ति नही होती है, तो मैं बतलाना चाहता हू कि यह सारा ढाचा पड़ा रह जायगा और जनता आगे निकल जायगी । आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, हिन्दुस्तान मे भी वही रेवोल्यूशन हो जायगा (व्यवधान)

MR CHAIRMAN I would request the Member not to have cross talks like this. Let the hon. Member give his views and then you will get your turn when you may say what you want to say on this. Mr. Ishaque, you are also interrupting very much.

श्री विभूति मिश्र सभापति जी, दिल्ली से दवाओं की बहुत कमी है—लेकिन जरा गांवों मे जा कर देखिये, वहा तो कुछ भी नही है। वहा एजुकेशनल डिस्पैरिटी है, मेडिकल डिस्पैरिटी है दिल्ली मे जैसे घर है या शहरो मे जैसे घर है गाव मे जा कर देखिये वहा कुछ भी नही है। पीने को पानी नही मिलता है। इन सारी बातो को देखते हुए मालूम होता है कि हमारा सविधान हमारी गरीबी दूर करने मे कारगर नही रहा है।

आज भी इस देश मे मनुष्य मनुष्य का शोषण करता है। हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है—लखनऊ का उन का भाषण मेरे पास है— हालाकि वे खुद मे 10 हजार रुपया पाते है—उन्होने कहा है कि लोग एम०एल०ए० होने को तैयार है टी०ए०, डी०ए० लेने को तैयार हैं। मै पूछना चाहता हू—वे खुद 10 हजार रुपया लेते है तो एक्सप्लायेट नही करते है जब कि उत्तर बिहार की पर-कैपिटा इन्कम 200 रुपया है इसलिये मनुष्य मनुष्य का एक्सप्लायेटशन करता है और यह एक्सप्लायटशन बन्द होना चाहिये, लेकिन यह सविधान बन्द नही कर सकता। आप कहेगे कि हमारे तमाम प्रिवलेज है, हम को फण्डामेन्टल राइट्स दिये गये है, तो फिर परिवर्तन कैसे आयेगा, यह एक्सप्लायेटशन कैसे बन्द होगा। यह सविधान किस मे बनाया था? जो हिन्दुस्तान का दुख दर्द जानते थे, उन्होने नही बनाया वकील लोगो ने बनाया था। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, जवाहर लाल जी और राजेन्द्र बाबू भी वकील थे, लेकिन उन के अन्दर देशभक्ति के सस्कार हो गये थे। लेकिन जो अन्य सविधान बनाने आये उन का देश के हित मे सस्कार नही बना था, उन को तो ब्रिटिश राज्य के सपने दिखाई देते थे, उन पर अग्रेजी राज्य का असर था, उन लोगो ने सविधान बनाया, जो हिन्दुस्तान की आज की परिस्थितियो मे माकूल साबित नही हो रहा है।

आप देखते है कि सविधान की गडबडी की वजह से सैन्टर और स्टेट मे झगडा शुरू हो गया है। कुछ स्टेट्स कहती है कि हम को आटोनामी मिलनी चाहिये, सैटर के सामने एक मुसीबत खडी हो गई है। क्या कारण है, क्यों आटोनामी मागते हैं? इस के मायने है कि सविधान मे कुछ कमिया हैं, जिस को सैन्टर पूरा नही कर सकता है—चाहे उन के दिमाग मे भारतीयता का प्रश्न हो, सारे देश को एक रखने का प्रश्न हो—एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि कुछ कमी है जिस को यह सविधान आज तक पूरा नही कर सका है। भाषा का प्रश्न है, उस पर झगडा हो जाता है, यहा सदन मे कुछ लोगो के लिये अपनी भाषा मे बोलने का प्रबन्ध है, वे जो कुछ बोलते है उस का अनुवाद हो जाता है, लेकिन देश का काम चलाने के लिये आज तक एक भाषा नही बनी। आप रूस के कान्स्टीचूशन को देखिये—किस तरह से उन्होने अपने भाषा के सवाल को हल किया है। लेकिन हमारा सविधान आज तक पिछले 26 वर्षों मे इस को हल नही कर सका है।

सभापति जी, मेरा एक 5079 नम्बर का अन-स्टार्ड क्वैश्चन था, उस का जवाब डिफेन्स मिनिस्टर साहब ने दिया है, वह कहते है—

"(a) Since, in the Army, due to historical reasons and on grounds of tradition, certain class compositions are continuing There is reservation and weightage in recruitment, for members of certain castes only, on the basis of the existing class compositions."

श्री विभूति मिश्र

आप बतलाइये—इतनी महत्वपूर्ण चीज हमारी मिलिट्री है—जिस मे आज तक कहते है कि कुछ क्लास कम्पोजीशन अभी तक चल रहा है : हमारी सरकार नारा लगाती है और सब लोग कहते है कि देश मे सैकुलरिज्म है, लेकिन मिलिट्री मे सैकुलरिज्म क्यों नही है—पिछले 26 सालों मे हमारा सविधान इस को दूर नही कर सका है।

26 साल के बाद भी मिलिट्री मे सैक्यलेरिज्म नही आई। तो जब वहा नही आई फिर देश में कैसे आयेगी। मिलिट्री हिन्दुस्तान की सब कुछ है। आज छोटे छोटे बच्चे 12 वर्ष उम्र के रिक्शा चलाते हैं जो कि सविधान के मुताबिक नही होना चाहिए। सविधान में यह है कि 14 वर्ष के बच्चों तक एजूकेशन कम्पलसरी की जाये लेकिन यह भी नही कर पाये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा सविधान जो है वह हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं की पूर्ति नही कर पा रहा है इसलिए इस बात की जरूरत है कि इस सवधिान को बदला जाये और उसके लिए आवश्यक है कि इस लोक सभा को कान्स्टीट्एन्ट असेम्बली बनाया जाये।

कुछ हमारे साथी इसलिए इसको नही बनाना चाहते है कि वे माइनारिटी मे आये है और काग्रेस वाले यहा पर मैजारिटी मे आये है लेकिन मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान का हित बटा हुआ नही है। जैसा काग्रेस का काम है वही विरोधी दलों का काम है क्योंकि सभी का काम देश का हित करना है। जो हम चाहते हैं वही आप भी चहाते हैं। इसलिए इस लोक सभा को सविधान सभा बनाने का आप समर्थन करें। यदि आप समर्थन नही करते है और बीच बीच में संविधान विधेयक लाते हैं तो यही समझा जायेगा कि छूटपुट बिल ला करके संविधान का संशोधन करना चाहते है लेकिन पूर्ण रूप से संवधिान को संशोधित नहीं करना चाहते हैं।

अन्त मे मुझे यह कहना है कि इस देश में मे यह सविधान चलने वाला नही है। समाजवाद के सिद्धांतों के आधार पर जब संविधान बनायेंगे तभी इस देश का कल्याण होने वाला है वरना नही होने वाला है। मैं चाहूगा इसके लिए सरकार कदम उठाये। यदि सरकार कदम नही उठायेगी तो जैसा मैं बतला रहा था जनता स्वय कदम उठवा देगी (व्यवधान) बगावत बहुत जरूरी है। जैफर्सन ने कहा है कि 10–15 साल के बाद खूनी क्रान्ति होनी चाहिए। उसमे हालाकि कुछ लोग मारे जाते है लेकिन सरकार ठीक से चलती है। तो मै बताता हू कि 1942 के बाद 31 साल हो गए, इस देश मे कोई क्रान्ति नही आई। आप क्रान्ति करेंगे या नही, मुझे शक है लेकिन इस देश की जनता क्रान्ति करेगी, जनता पर मुझे विश्वास है। इसलिए मै समय रहते हुए सरकार से कहना चाहूगा कि सरकार सविधान को देखे अगर इससे सरकार का काम नही चलता है तो उसका प्रबन्ध करे। हमने देखा कि देश मे बेकारी नही मिटी। किसी आदमी को काम देने के लिए हमारे यहा कोई ऐसी व्यवस्था नही है कि उसको काम मिल जायेगा। एक बात और भी है कि जो लोग काम नही करते है वह काम करेंगे थोड़ा और चाहेंगे ज्यादा, इससे भी बड़ी परेशानी है। जो हमारे रूसी भाई है उन्होंने रूस मे जो अपना सविधान बनाया उसमे लिखा है कि नेशनल प्रापर्टी को बरबाद नही करना चाहिए। अगर कोई उसको बर्बाद करेगा तो उसे बहुत बडी सजा दी जायेगी। लेकिन हमारे यहा ऐसी हालत है कि अगर कोई झगड़ा हुआ तो रेल, पोस्ट आफिस और बसों को तुरन्त फूकना प्रारम्भ कर देते हैं। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था नही है लेकिन रूसी संविधान में यह व्यवस्था है कि अगर इन चीजों को कोई नुकसान करेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। इसलिए मै सरकार से अपील करूंगा कि सरकार इस लोक सभा को विधान निर्मात्री सभा घोषित करे और जनता की जैसी इच्छा

है वैसा संविधान बनाकर देश के कल्याण के काम को आगे बढ़ाये ।

MR. CHAIRMAN: There is one amendment by Mr. Limaye and there are two amendments by Mr. Daga. Are they moving them?

SHRI MADHU LIMAYE: Yes; I move:

'That in the resolution,—

for "present Lok Sabha may be declared as a Constituent Assembly and a new Constitution may, be framed for the country immediately"

substitute—

"next Lok Sabha, in addition to its being the directly elected House of the Union Legislature be also declared as a Constituent Assembly charged with the task of framing a new Constitution within two years of its constitution" ' (1).

SHRI M. C. DAGA (Pali): I move:

"That in the resolution, *for* "Lok Sabha may be".

substitute—

"Lok Sabha and Rajya Sabha may jointly be" ' (2).

"That in the resolution, *add* at the end—

"in view of the fast changing times" ' (3).

MR. CHAIRMAN: These three amendments have been moved.

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): Mr. Chairman, Sir, before I begin my speech I would like to congratulate you on your recovery from prolonged illness and once again presiding over the proceedings of this House. Sir. this non-official resolution seeking to convert the present Lok Sabha into a constituent assembly for the purpose of drafting a totally new constitution has been brought before this House by one of the oldest member of the ruling party. In his introductory speech the mover has said that after 26 years of independence it has been found that the Constitution has become obsolete and unworkable and it has been necessary to make 31 amendments to this Constitution uptil now. It goes to prove that the spirit of the Constitution by which the Government and its policies are guided, has only resulted in keeping about 25 crores of our people below the poverty line today. They are starving and unable to find employment. This is known to every body. This situation shows that a change has become imperative in our country. I will discuss later what path we should follow to reach that goal. Sir, at the time of our election to the Lok Sabha we had issued our party manifestos and have been elected on the strength of those manifestos. We had no where stated there that we would convert the Lok Sabha in a Constituent Assembly. Moreover, it has been provided in the Constitution that we can amend the Constitution by a 2|3rd majority and we have already brought about 31 amendments to the present Constitution. I don't know whether he is trying to prolong the life of the present Lok Sabha by converting it into a Constituent Assembly. Sir, under the Constitution the Parliament comprises of the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. But, Sir, Shri Mishra in his resolution seeks to convert only the Lok Sabha into a Constituent Assembly. How is that feasibility? What will happen to the Rajya Sabha? Had he proposed to convert both the Lok Sabha and Rajya Sabha into a Constituent Assembly that might have been more meaningful? He has said that original Constituent Assembly was elected through

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri Krishna Chandra Halder]

indirect elections with each member representing ten lakh votes. The mover has further said what class of people constituted that Assembly although people like Pt. Jawaharlal Nehru were also there and that Constitution has not been helpful in solving any problems of our country. This statement has come from one of the seniormost members of the ruling party. Perhaps, he aims to draw a new Constitution through this Constituent Assembly by a simple majority vote and I don't think this to be proper. Sir, the present Lok Sabha has been elected according to the provisions of the Constitution itself. The Constitution does not empower the Lok Sabha to convert the Parliament into a Constituent Assembly. Sir, I cannot understand how the Lok Sabha which has been elected and is guided by the provisions of the Constitution can act contrary to the Constitution and convert it into a Constituent Assembly. Apart from this, some undemocratic provisions of the Constitution needs to be amended.

For example. Article 22 of the Constitution which provides for detention without trial should be totally scrapped. Our experience is that as times pass our problems are only increasing through the working of the present Constitution. In the Fundamental Rights of the Constitution right to property has been treated as more sacred than individual rights. What is this? How can property get precedence over individual.? Such provisions need to be amended. Many States have passed legislation for land reforms but what has been the result? Has it been possible to distribute land among the landless. Have any arrangement been made by the Government to take over all land which are above the ceiling from the big landlords and jotdars and to distribute it among the landless labourers and share croppers etc. That has not been done. That is why these people are uniting today to obtain possession of land through struggle. In the Fundamental Rights of the Constitution right to work and right to a living wage has not been provided. We have not yet made education free and compulsory for every body. On the strength of the Constitution a post of Governor has been created in each State which I consider to be useless and a white elephant for the State. What is the purpose of this post of Governor? We find that in all the States the Governors are acting only as agents of the Ruling party at the Centre, without wielding the powers given to them by the Constitution. They are only machines working according to the dictates of the Ruling party. We demand that the post of Governor should be abolished. The most prominent question today is that of Centre—State relationship. Sir, it is said that they have got a Federal system of Government but in reality it is only a Unitary Government. All the powers are concentrated in the hands of the Centre. This is giving rise to various problems and conflicts. There is need for reconsideration what should be the relation between the Centre and the States. It is necessary to give the States more democratic rights. It is very unfortunate that all the financial and economic powers are concentrated in the hands for the Centre. This power is misused by them against the Governments formed by the Opposition parties in the States. This has been our experience in West Bengal. When the United Front Government came in power, the Centre prevented them from functioning in a democratic way through the misuse of the financial powers. This attitude of the Centre has given rise to the demand for autonomy in various States like Tamilnadu etc. I, therefore, demand that the Constitution should be amended so that only departments like Defence, External Affairs, Communications and issue of currency may be kept under the charge of the Centre and the States should be given complete autonomy in all other matters. Shri Mishra has stated that people's

Government have been established in China through revolution long after us. But they have surpassed us in many fields of development. How was that possible? It was possible because fundamentally you took over power from the Britishers and framed this Constitution through a Constituent Assembly elected by indirect elections. You have built up here the frame work of a capitalist system of Government. By maintaining this capitalist form of Government it is never possible to remove poverty. This system of Govermnent thrives on exploitation only. It is not possible to bring about real socialism through this system of Government. This system of Government based on class complex and explonation must end for the good of the country. This system must be demolished. As stated by the oldest member of revolution is around the corner. That revolution will not be a mental revolution only. Sir, we are sitting on a valcano. That day is not far off when the present system of Government based on exploitation of the masses shall be smashed down. And a real socialistic Govermnent will be placed in power through a bloody revolution as has happened in the Soviet Union and China where the labourers and peasants united to pull down the old system of Government. In India also that day is coming when a real democratic and socialistic Government will come in power under the leadership of the labouring classes. If you are really sincere to bring about the desired changes then merely converting the Lok Sabha into a Constituent Assembly is not enough. Then you abolish the Lok Sabha itself. You hold fresh elections on the basis of proportionate representation. The voters may be given the right to recall their representatives. Then that Constituent Assembly may be able to produce a Constitution which will meet some of the hopes and aspirations of the people. The fundamental thing is it is not possible to remove poverty by keeping alive the present frame of Government which is based on exploitation. Socialism is but a far cry. Only then we will be able to better the lot of the Indian masses where over 25 crores of people living in starvation and semi-starvation, where over 5 crores of young and able bodied persons are without employment and where there is no adequate provision for medical treatment and education. If this is not done then I am sure that day is near when not only a mental revolution but a revolution led by the working classes, and based on the unity of the farmers and labourers will erupt in this country it may be a bloody one but it will take the people nearer their goal. They will set up a real democratic Government in the country and they will create a Constitution which will help the people realise their ambitions and dreams. In that State there will be no place for the monopolists and the capitalists who survive only by exploiting the people. That day a real democracy will be established in the country which will not be a democracy of the Bourgeous and a democracy of the people. It won't be a democracy of the rich classes as in the present parliamentary system. Only that day real constitution will be written which will actually be by the people, of the people and for the people of India. Sir that day is not far off.

SHRI S. A. KADER (Bombay—Central-South): Mr. Chairman. Sir at the outset, I must welcome you back amongst us, hale and hearty, and we are thankful to God that one of our colleagues has been restored back to us.

The Resolution moved by Shri Bibhuthi Mishra has to be looked at from the point of view of utility. I do not know whether this House can convert itself into a Constituent Assembly and when this House is empowered to amend and change the Constitution what is the necessity of a Constituent Assembly. Perhaps, if there is an absolute necessity of a Constituent Assembly then we should approach the people, giving them certain ideas

[Shri S. A. Kader]

and ideals and spelling out our programme so that they can give their verdict and on the basis of that decision we should constitute a Constituent Assembly.

I would appeal to my friends not to judge this issue from any political or personal angle. 25 or 26 years of national life is sufficient to take stock of the situation and find out whether we have achieved something or we have gone back, If we find that we are going back or we have gone back, then certainly some radical reforms are necessary.

The field in which India has made progress is population. The population of India in 1951 was 36 crores which increased to 43 crores in 1961 and 54 crores in 1971. That progress was not because of the effort of the Government but because of the effort of the people. Having made this progress in the field of population, the progress in the field of *per capita* income is rather disturbing. The *per capita* income in 1960-61 was Rs. 361 at the rate of price prevailing in 1961. The *per capita* income in 1970 was Rs. 633 but if you calculate in terms of the 1961 price level it comes to only Rs. 348. Therefore, because of the population explosion the *per capita* income has also come down. It has also severely affected our plan programmes.

That is not all. Have we utilised all the natural resources that are at our disposal? If we look to the irrigation potentiality, it is about 27 per cent of the total length of irrigation. Why are we lagging behind? When India is an agricultural country, why should it be that irrigation falls far behind? One thing more. We have got vast natural resources of hydro-electric power. I am told, about 17 per cent of the potential power of hydro-electricity is being utilised to day. That means, we have yet to utilise something like 70-80 per cent of hydro-electric power if we want to harness electricity fully. We have not been able to do it in 26 years' time. That speaks volumes where we are lagging behind.

Now, I would like to come to the question of the set-up of our Constitution. Administratively, the country is one. Politically, the country is divided. For example, we have got the Parliament and the Central Government we have got the State Assemblies and the State Governments; we have got the Zila Parishads and the Panchayats. As far as the Central Government is concerned, it has all the subjects at their command. At the same time, there are the Concurrent subjects and the State subjects. Therefore, a division of administration has been so done that no one is the master of the situation Sometimes, we say, it is the State subject; sometimes, we say, it is the Concurrent subject; sometimes, we say, it is the Central subject. The Central Government will say, it is a State subject: the State Government will say, it is a Central subject.

These sort of things are also hindering the progress of our country. This Constitution was made 25 or 26 years ago by our people, well-intentioned people, and we should not apportion any blame or say, anybody has done wrong. It was in their wisdom that they made this Constitution. Basically, the Constitution is not wrong. But in details, it may not be to the requirements of the country as a whole.

Take the Constitution itself. I am told, most part of it has been bodily copied from the Act of 1935. Now, if it is a copy of that Act, that means the mind has not been very much applied to the requirements of this country. At the same time, our leaders saw to it as to what kind of Constitution we want to give to the people of our country. In the Preamble, in the Directive Principles, all these things were embodied. To that ex-

tent, it is perfect. But to the other extent, I think, it is not perfect at all. The time has come when we have to see whether after 26 years' working of the Constitution, it has given to the people the things that they need.

Today, some say, that Constitution is supreme. I do not consider the Constitution as supreme. The people's will is supreme. The Constitution is meant for the people. The people are not meant for the Constitution. So, there is no hard and fast thing about it. If it is the people's will, it can be thrown out; it can be amended; it can be changed at any time.

16.00 hrs.

How does the Constitution operate today? Today, the Parliament is supreme. The will of the people is reflected in this Parliament. The Parliament is supreme over everything. Is it supreme over administration? In fact, in theory, it should be so. But I doubt it. The administration is also perhaps absolutely independent of the Parliament. If, for example, the Ministry or Cabinet decides something and things go wrong, what happens? Who is the culprit? The culprit is somewhere else, but the blame comes to the Ministry. We, among ourselves, fight and blame each other. Why does this happen? It is because the administration is supreme and independent. They have been so well protected under this Constitution that nothing can touch them. Even a person who is known for his inefficiency and corruption cannot be dismissed outright. The utmost that can be done is, he can be transferred. That means transferring the disease from one place to another. There is no power with the Ministry or the Minister to dismiss him or take independent and immediate action against him. Therefore, it is necessary that we consider this aspect. What I feel is that we should make departmental action non-justiciable along with changes in the rules of service which were framed during the British time and which are in operation even today. When those rules were framed, the requirement of the departments was not considered, but the requirement of the British imperialists was considered—what type of persons was required to carry on the British empire. And those rules are prevalent even today. Therefore, changes in those rules along with the Constitutional amendment that I have suggested are a 'must' if we want that the administration should work in the interest of the people and by the will of the people.

Secondly, what do we find today between the States and the Centre. Are their relations so good that all the directives of the Centre run in the States? Therefore, the time has come when we should think of basic structural changes in the Constitution itself. And what I am feeling is that a unitary form of government in the country is the requirement of the day. There should be no provinces. There should be four strata of administrative set-up under which we should work. First and foremost...

SHRI R. R. SHARMA (Banda): You are heading towards dictatorship.

SHRI S. A. KADER: You have not listened to me. My hon. freind should have some patience and listen to me.

What I am saying is that our Constitution should begin from village. What is happening to our villages today? Villages are being destroyed. Cities like Bombay, Calcutta, Madras and Delhi are full with people from rural areas coming there to settle down in juggis and jhompris. Why? Do they come there for cinema or for some show? They come to the cities to earn their livelihood. They cannot earn their livelihood adequately in the villages. We have six lakhs of villages. Without a regular organization, there is an influx of people coming to the cities and they create problems in the cities which are also very difficult to solve.

[Shri S. A. Kader]

Therefore, our Constitution should begin from the village. There should be obligatory duties in the village, what they are supposed to do for their citizens. Then it should be taluka and then zilas, and a unitary form of Government at the Centre. It should be completely decentralised. Every village should feel a republic by itsef: it should have its own, what we call, resources, and if it does not have, it should be given. But it should have ample opportunity to develop by itself. Similarly, talukas and zilas. The Centre should have a few subjects covering the whole of India. That would be an ideal Constitution according to me. Of course, it is a debatable point. Many people will say 'yes' and some people will say'no'. But the time has come when we should look into it. A better one should be brought forward. When can it be brought forward? It can be brought forward only if the leadership of the country takes courage in its hands and says that the time has come when we should review the present situation, in its entirety, we should look at it with a revolutionary approach and should bring about some change.

I am quite sure that if the present stalemate is to continue and if the present Constitution is worked for a number of years to come, things are not going to be easy and things are going to be hot for everyone. Therefore, it is time that when we have got such a big majority in Parliament and even the Members of the Opposition will not be against it if there are constructive approaches made towards beautify and streamlining the Constitution that is required. And, if we do not do it, then I think history will blame us that when the opportunity was there, you failed the people, you failed the country, you failed everyone. These are the dictates of times. Sir, a poet has said:

"वक्त का फरमा अपना रूप बदल सकता नहीं, मौत टल सकती है फरमा टल सकता नहीं।"

Now, these are the dictates of the time and if we do not take time into our hands, If we do not take courage into our hands, make changes, drastic and revolutionary, for the ultimate benefit of the common man, for the ultimate benefit of the man living in the village or the man living in the slums in Delhi or other cities, unless he is benefited, unless his involvement is there, unless he feels that this country belongs to him, the few people of the country cannot carry all the people for all time. Therefore, my friend, Shri Bibhuti Mishra is right when he says that if you do not take stronger steps, possibly there may be an explosion, there may be a revolution. I feel that our country is not in a mood to revolution but, if it is, then God save us.

Recently, I met a Russian who had come to India. It is a very interesting story. He said that he came to India as an atheist but he has gone back as a believer. I asked him 'Why ? What has happened?' He said, "It is simple When I came to India and stayed here for three months, I did not find a single thing in a proper place. Everything was wrong. Shortage here, shortage there. All these things are there. But, still it is going on. So, I think there is some super-natural power which is carrying on all these things inspite of what is existing in India here." To-day, possibly, you should not take it for granted because people will not take it for granted.

To-day if we look around we see some kind of an agitation, either in the form of Satyagaraha or in the form of a Gherao or it may be in any other form, but conditions are bad. Therefore, any delay to look into the matter will be disastrous as far as our country is concerned.

One thing more, the last thing and I will close. Of late, the productivity of the country has also gone down. Why? I am told that the total output of a person—I am taking India as a whole—the total output of the working class is two hours a day. Maybe a little more or may be a little less but it is not far off that figure.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): Who gave you this figure?

SHRI S. A. KADER: Now, if it is two hours a day, the productivity is naturally hampered and, therefore, the country becomes poorer in the ultimate analysis. Therefore, it is time that we should see that in the field as well as in the factory, the productivity is brought to the highest standard....

SHRI C. M. STEPHEN: What has the Constitution to do with that?

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Everything under the sun can be brought in the Constitution.

SHRI S A. KADER: The Constitution can make all the provisions for it. My friend, Mr. Stephen, knows that if the Constitution is right, the working of the whole thing will be right. Otherwise, everything will go wrong. Therefore, the Constitution is the most important thing for a country and that the Constitution should be such which should reflect the will, the sovereignty and the aspirations of the people in the working of it.

Therefore, I would appeal to the Government that while not totally rejecting the resolution moved by my friend Shri Bibhuti Mishra, they very fundamentals of the resolution should be taken into consideration. The Government must give proper thought to it. It would be advisable to have a White Paper for the Twenty-fives of our freedom. If it is not good, what should be done? Something should be done by which we can bring about a revolutionary change in the country so that the common man might get his due. That is what I have to say.

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : सभापति महोदय, माननीय विभूति मिश्र जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ रखा है उसके दो पहलू हैं। एक तो उनके विचार में आज का संविधान बदलना जरूरी है और संविधान बदलने के लिये आज की जो यह लोक सभा है इसी लोक सभा को संविधान में परिवर्तित करना जरूरी हैं। इसलिए पहले यह देखना होगा कि आज वास्तव में संविधान बदलने की जरूरत है क्या ? जितनी भी समस्याएं आज हमारे सामने दिखाई देती है क्या इन समस्याओं का हल करने मे संविधान बाधक रूप में आता है ? मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से विनम्रता से कहना चाहता हू कि उन की एक ही आदत है। वास्तव मे वह गांधी जी के अनुयायी कहलाते हैं, किन्तु गाधी जी का स्वभाव वह था कि वह इन्ट्रास्पेक्शन से देखते थे कि कही मुझ मे खुद का दोष नही है। वह दूसरों को दोष नहीं देते थे। लेकिन हमारी सरकार खुद की गलती को छिपाकर दूसरो को दोषी ठहराने की कोशिश करती है। तो उन सबको दोषी ठहरा कर समाप्त हो गए अब आखिरी आ गए सविधान पर।

श्री एम एम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) यह सरकारी रेजोल्यूशन नही है।

श्री जगन्नाथराव जोशी इसी लिए मैं ने कहा कांग्रेसी मित्र। सरकार तो कांग्रेस की ही है। अब विरोधी दलों को दोषी ठहराया फिर परिस्थितियों को ठहराया, फिर वर्षा को दोषी ठहराया, सी आई ए को ठहराया। दुनिया मे कोई बचा ही नही। अब आ गए सविधान पर। दिस इज ए सार्ट आफ एस्केपिज्म। इससे समस्या हल नही होगी। जिन जिन महानुभाव ने अभी विचार प्रकट किये मिश्रा जी से लेकर कादर साहब तक, उनसे मैं जानना चाहता हू कि देश की गरीबी की समस्या हल करने मे क्या सविधान बाधक है ? मै यह मानता हू कि पहली सविधान सभा जिन लोगों ने बनाई थी वह एडल्ट फ्रैंचाइज से नहीं आये थे। किन्तु यह बात हम नही भूल सकते है कि इस का मुख्य प्रारूप जिन्होंने तैयार किया वह थे बाबा साहब डा० अम्बेडकर जिन्होंने गरीबी क्या है इसका अनुभव किया हिन्दुस्तान के अन्दर दलित क्या होते हैं इसका अनुभव किया था जिसकी कल्पना हम आज नही कर सकते हैं। उन्होंने इस संविधान का प्रारुप बनाया और इस के अन्दर डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखे।

[श्री जगन्नाथराव जोशी]

प्रीएम्बल रखा। उस से जो संविधान निर्माण किया उस की मंशा क्या है यह तो बिल्कुल साफ है। यहां तक तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अन्दर बता दिया है कि आगे चल कर इस की कोशिश करेगा, इस विचार को व्यवहार में लाने की कोशिश करेगा। जो स्वयं यह बात कहते हैं क्या उन को यह बात मालूम नहीं थी कि आगे चल कर देश का विकास करना है, सामान्य आदमी की स्थिति को ऊपर करना है, तो यह संविधान उस में बाधक बनेगा, यह उन के दिमाग में नहीं आया ? मेरा कहना है कि जैसे हिन्दी में एक कहावत है कि नाचना नहीं आता तो आंगन ही टेढ़ा है, यह हो रहा है।

मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि 1971 के चुनाव में भारी बहुमत आप को मिला। यह भारी बहुमत मिलने के बाद भी क्या राज्यों में जो झगड़े हो रहे हैं यह संविधान ने कहा कि झगड़े करो। बिहार के मुख्य मंत्री श्री गफूर या पांडेजी होते इस से गरीबी हटाने का क्या मतलब ? दोनों मिल क्या गरीबी हटाने के प्रयत्न नहीं कर सकते थे ? गुजरात के मुख्य मंत्री पटेल बनें, ओझा बनें, घोया बने कोई बने इससे कोई मतलब है क्या ? आखिर कोई एक कांग्रेस दल होगा, एक कोई नीति होगी, कार्यक्रम होगा और उसके अनुसार जो करना चाहिए यह आप करते नहीं है तो संविधान को दोष देने का मतलब क्या है ? सारी बातें आ कर खड़ी हो जाती हैं। अभी हमारे मित्र कादर ने कहा कि ग्राम विकास नहीं हुआ। किस ने रोका था ? हर प्लान में टाप प्रायोरिटी दे कर पीने के पानी की सुविधा देनी चाहिए थी। पांचवीं योजना पर चर्चा करते समय भी स्थिति यह है कि साढ़े पांच लाख गावों में से एक लाख गांव पीने के पानी के अभाव में तड़प रहे हैं ? क्या यह शोभनीय है ? क्या संविधान ने कहा था पानी की व्यवस्था न करो ? उन्होंने यह भी कहा कि खेती का विकास नहीं हुआ। नर्बदा बार बार गांवों में घुस रही है, उसका फैसला नहीं होता, उसके पानी का उपयोग खेती बिजली के लिए नहीं होता। कृष्णा गोदावरी का झगड़ा 1951 से चालू है आंध्र महाराष्ट्र और मैसूर के बीच में। यह हल नहीं होता। कावेरी का जल विवाद--तमिलनाडु और मैसूर का झगड़ा और अब उस में केरल आ गया वह भी हल नहीं होता, चंडीगढ़ का नहीं होता, बैलगांव का नहीं होता। मुख्य मंत्री कौन बने यह नहीं होता। संविधान क्या करे इस में ? नदी के पानी का उपयोग करना यह तो भगीरथ के समय से इस देश में परम्परा चली आई है, स्वर्ग से निकलने वाली गंगा हिमालय की छत पर बेकार चली जाती थी। भगीरथ प्रयत्न करके उसको अपने देश की भूमि पर लाए, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसी से फले फूले इतनी बड़ी परम्परा होने के बाद भी नदी का पानी यहां पर बेकार चला जाता है, हमें शर्म आनी चाहिए। इस में संविधान का सवाल है ही नहीं : ग्राम विकास करने से हमें किसी ने नहीं रोका। हम खेती को पानी दे सकते थे। लेकिन नहीं दे सके क्यों ? कि जो एक हवा में उड़ना शुरु हुआ वह आज तक चालू ही है। पहले आप लोगों को लगा कि समाजवाद का नाम लेते ही एकदम सब हो जायगा। 1954 में समाजवाद का नाम लिया। हुआ कुछ नहीं। फिर कहा कि सहकारी खेती होनी चाहिए। क्यों नहीं की? क्यों नहीं कर के दिखाई ? यानी चार लोग इकट्ठे आ कर सहकारी खेती नहीं करते। ठीक है। आपने सरकारी फार्म बनाये उनका क्या रूप रहा, वह देखा न हमने केरल के फार्म में। यह सरकारी फार्म की हालत है। कौन सा आप का फार्म सफल है ? कौन सा आप का उद्योग है ? आप गाली देते हैं टाटा को बिरला को लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो मालूम होता है घाटा दो सौ करोड़ का चार सौ करोड़ हो गया 6 सौ करोड़ हो गया और अब 8 सौ करोड़ हो

गया । आप को किस ने रोका था । आपने भी पूंजी लगाई थी और पूंजी लगाने के बाद वह जैसे मुनाफा कमाते है वैसे आप क्यो नहीं कमाते है रांची इंजीनियरिंग कारपोरेशन मे 212 करोड़ कि पूंजी लगाई और 100 करोड़ का घाटा उठाया । यह कोई तरीका है यानी कौन सा उद्योग है, या खेती है कौन सी चीज ऐसी है जो आप ने दिखाई हो ? ठीक ढंग से करके खेती हाथ मे ली, ठीक ढंग से नहीं चला सके, उद्योग हाथ मे लिया, ठीक ढंग से नही चला सके फूड कारपोरेशन हाथ मे लिया, ठीक ढंग से नही चला, सुपर बाजार खोला, ठीक ढंग से नही चला सके । बहुमत वाली मिनिस्ट्री फार्म की वह भी ठीक ढंग से नहीं चला सकी । तो सविधान क्या करेगा इसके लिए ? आप को करना ही नहीं है कुछ (व्यवधान)

सम्पत्ति पर अब मैं आता हू । सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण हुआ । किसने किया ? यह लाइसेंसेज किसने दिए ? एक ही घर को लाइसेंसेज किसने दिलाए ? बिरला को बास की रायल्टी किसने दी ? इतने कम दामो पर उसको बिजली किसने दी ? आप लोगों ने ही सब कुछ मजूर किया ? हिन्दालियम मे जो बिजली दी जाती है बिरला के लिये और किसान को जो बिजली दी जाती है पम्प के लिये उसमे जो असमानता है, वह असमानता करने वाले कौन है ? आप ही लोग है । इस सारे को ले जाकर देश की आबादी बढी है, इस पर थोपना यह और भी बड़ी अजीब बात है । यानी आबादी पैदा नहीं होगी तो यह सारा कुछ हम कर किसके लिये रहे है ? किसके लिये चाहिये फिर यह सब कुछ ? आबादी बढेगी, आगे चलकर जो प्रजा यहा पर पैदा होगी, उस को सुख सुविधा मिले इसलिये दिमाग लगा कर कर्त्तव्य की भावना के साथ हम कुछ करे यह तो कोई बात होती है । और अगला रास्ता ही बन्द कर दिया तो हम आगे जाकर करेंगे क्या ? आगे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है । मानवीय कर्तृत्व का विकास तब होता है जब उसके सामने कुछ साहसानिक चैलेंजेज हो । जब हम को यह पता चलेगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी भारी ताकत जो है इसको खिलाना है, पिलाना है, तब जाकर अपना दिमाग हम काम मे लगाएंगे । क्या हमारी भूमि काम नहीं देगी ? क्या यहा हमारे पास साधन के स्रोत नही है ? क्या यहा पर उत्पादकता नही है ? क्या पानी नही है ? क्या नहीं है ? यह यहा जानने की हम लोगो ने कोशिश की है क्या ? यह हमारे सामने सवाल है । आज आप सम्पत्ति अपने बीच मे लाते है तो मै एक बात पूछना चाहता हू । चाहे जितना भी आप कानून बनाए, चाहे यहा इंडीयन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सभी कुछ आप तब्दील कर ले उससे क्या कुछ होगा ? चोरी करने से सजा होती है, लेकिन क्या चोरिया बन्द हुई है । यह जो प्रवृत्ति है चोरी करने की इसको कैसे रोका जाये ? क्या आप लोगो ने ठीक नही स्वीकार किया— दि टिलर आफ दि सॉयल शुड बी दि ओनर ? जोतनेवाला किसान जमीन का मालिक बने, जो खुद जोते नही वह क्यो मालिक बनना चाहता है ? हम ने सवाल किया था, उस का जबाब आया है — मंत्रियों के नाम आये है जिन को पत्नियों के नाम पर जमीनें है मैं उन का नाम यहा लेना अच्छा नही समझता । पत्नी के नाम पर जमीन, मकानात क्यो होते है एक भूतपूर्व मंत्री की पत्नी के नाम पर दिल्ली मे बगला है —-कानून क्या करेगा, सविधान क्या करेगा ?

सवाल यह है कि मन मे जब यह धारणा है कि जो अजित करूगा वह मेरे लिये नहीं, है—यह सवाल सिर्फ सम्पत्ति का नही है सम्पत्ति का, तन की है—तन की और मन की भी है—यह कौन देगा ? इसके लिये कोई सविधान नही है । आजादी के पूर्व तन-मन-धन की शक्ति देश में लगाने की बात थी, वह अब कहा है ? हम कहते है कि ब्रेन-ड्रेन होता है, भारत का टेलेंट बाहर जाता है, उनको लगता है कि पैसा चाहिये—मैं पूछता हू कि पिछले 25 सालो मे आप ने यह भाव पैदा क्यो नही किया—

[श्री जगन्नाथराव जोशी]

I am not a prostitute in the international market to be purchased and sold.

यह कैसे हुआ कि मेरी बुद्धि कोई भी खरीद लेता है, जो ज्यादा पैसा देता है, जो ज्यादा बिवड करे, मै उसके लिये हां करूंगा। मेरी बुद्धि का उपयोग मेरे देश के लिये हो, मन की शक्ति का उपयोग मेरे देश के लिये हो, तन की शक्ति का उपयोग मेरे देश के लिये हो— यह वातावरण पैदा नही किया। कैपिटलिट जो उद्योग में पूंजी लगाता है, वही पूंजी नहीं है—आज जो लम्बी लाइन में लगकर टिकट लेकर सिनेमा देखता है, जिन को हम कामन-मैन कहते हैं—उन सिनेमा स्टारों के पास जो प्रापर्टी है, जो इकट्ठी होती चली जा रही है, वह दान के रूप में समाज मे कैसे आयेगी—कभी सोचा है? कभी किसी सिनेमा स्टार को आपने पिक्चर में देखा है कि वह गाय को खिला रहा है, उस को धो रहा है, उस का दूध निकाल रहा है वे तो कुत्ते का पिल्ला इंग्लैंड से लेकर आते हैं, उसको ब्रिटानिया बिस्कुट खिलाते हैं। आखिर सम्पत्ति होने के बाद उस का उपयोग यहां है क्या? यह भाव पैदा क्यों नहीं किया गया, संविधान इस के लिये क्या करेगा?

खेती जोतने वाले को खेती मिलनी चाहिये, पत्नी के नाम पर जमीन लेना और खुद न जोतना—यह नही चलेगा। मैं तो इसके लिये प्रधान मंत्री जी को भी जिम्मेदार समझता हूं। जब अपने परिवार में कोई नहीं जोतता है, तो फिर 4–5 एकड़ खेती क्यों रखनी चाहिये—यह समझ में नहीं आता है। कम से कम एक किसान का तो भला होता। मैं आप को बताना चाहता हूं—

यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।

आपको प्रमाण मान कर जनता उसके अनुसार बर्तन करती है। इस लिये जो हायेस्ट-अप-टि-टाप हैं उन का बर्तन बिलकुल शुद्ध होना चाहिये, ताकि उन को देख कर दूसरा अनुकरण करे। जब स्वयं वे ही लोग जो समाज के सामने आदर्श बनने के लिये तैयार हैं, चोरी-छिपे पत्नी के नाम पर, साली के नाम पर, पत्नी के भाई के नाम पर ऐसा करते हैं तो उससे समाज के अन्दर क्या प्रवृत्ति पैदा होगी? इस लिये यह कहना कि आज का जो संविधान है, वह इतना लचीला है कि वास्तव में हम जो करना चाहे, वह कर सकते हैं, तो एक बार यदि इस पर आ गये कि जबरदस्ती कर के हर एक को उसकी प्रापर्टी से निकालेंगे तो फिर मैं पूछना चाहता हू कि तन के बारे में क्या करेंगे?

You will come to regimentation that. Are we heading towards regimentation.

आज भी समाज के अन्दर संस्कार नाम की कोई चीज है, उस को भूलें नहीं। आज भी लड़की होने के बाद उस के लिये अच्छा वर ढूंढ कर क्यों देते हैं—क्योंकि वह समाज का संस्कार है—वर ढूढ कर देना चाहिये। लेकिन जब हम कहते हैं कि वह मजदूर जो खेती करना चाहता है, जिन के पास साधन है, उन को खेती दे दो, तो लगता है कि क्यों दूं, किन्तु मन में यह नहीं आता कि मेरी आठ लड़कियां हैं उन को भी न दूं—इस लिये कि यह संस्कार है। लड़की भले ही तेरी हो, लेकिन दामाद तो ढूंढ कर दे दो, क्योंकि आगे समाज को चलाना है, सब कुछ अपने घर में रखने का इस में सवाल नही है। सामान्य आदमी में यह अन्तः प्रवृति होती है कि वह ज्यादा पैदा करता है, इस लिये कि उन को ज्यादा पैदा करने का अधिकार है, किन्तु ज्यादा खाने का अधिकार नही है। हमारी गीता ने कहा है—

स्तेन एव सः

आवश्यकता से ज्यादा जो नैवेद्य के रूप में स्वीकार करता है, वह तो चोर है। इस शब्द का प्रयोग गीता ने किया है। इसी तरह संविधान है, वह किताब गलत नहीं है, गलती कहां होती है, उस को समझ कर व्यवहार में लाने में गल्ती होती है। इस लिये आज संविधान को जिम्मेदार समझना सारी बुराइयों, सारा दोष संविधान में है, मैं इस को नहीं मानता। कई प्रश्न तो आप ने स्वयं निर्माण किये हुए है, अपनी गलत नीतियों के कारण निर्माण किये हुए है, जिस को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

यदि आप यह कहते हैं कि वह संविधान जिन लोगों ने बनाया था, वे डायरैक्टली एडल्ट फ्रैंकाइज से चुन कर नहीं आये थे, तथा आज की जो लोक सभा है, इस को बदलने का अधिकार है, यदि आप का यह विचार है कि हम जनता के वास्तविक प्रतिनिधि है तो जो चुनाव अभी पड़े हुए हैं — लोक सभा के और विधान सभाओं के उन को कराने से क्यों डर रहे हैं ? क्योंकि आप बांका और डिंडिगुल में गुल हो गये है, तब आप को समझ में आने लगा —

How far and fully you represent the will and wishes of the people.

इसलिये आज के हवा के झकोरे में जो लोक सभा आई है, इसी के बलबूते पर यदि इसी को संविधान सभा में परिवर्तित करना है तो मैं कहूंगा कि खुल रूप में जनता के पास जाइये — क्योंकि जनता का आदेश सुप्रीम है। यहां पर कहना कि पार्लियामेन्ट सुप्रीम है, कांस्टीटूशन सुप्रीम नही है — ऐसा कहने से तो काम नही बनेगा। मैं पूछता हूं यदि हम पार्लियामेंन्ट को सुप्रीम समझते थे तो प्रधान मंत्री ने कांस्टीचूशन का आधार लेकर पार्लियामेन्ट को कैसे डिजाल्व कर दिया था ? हम कहते हैं कि पार्लियामेन्ट सुप्रीम है, लेकिन—

Constitution is intact Parliament was dissolved.

यहां तक कि—

Parliament was dissolved without our knowledge. I was in the train.

हम को तो पता भी नही लगा

I am not joking

कंडक्टर पूछने लगा कि पास वापस दीजिये, पार्लियामेन्ट डिजाल्व हो गई है।

PROF MADHU DANDAVATE: You must have pulled the chain.

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

I never pull the chain because when I am in the train, the train goes so slowly that I need not pull the chain.

हम कहते हैं कांस्टीचूशन से हम सुप्रीम हैं।

But Parliament was dissolved taking advantage of the Constitutional position only.

संविधान में जो अधिकार प्रधान मंत्री को दिया गया है उसी के बलबूते पर उन्होने खत्म कर दिया। इस लिये जब सवाल आ कर खड़ा होता है यह श्रेष्ठ हैं या जनता श्रेष्ठ है तो जनता की विल श्रेष्ठ है, जनता सब कुछ कर सकती है। इस लिये यदि नया संविधान बनाना है तो यह काम लोक सभा नहीं कर सकती, आप को जनता के पास जाना चाहिये, जनता जब आप को चुनेगी तब बनाइये। इस के लिये नया चुनाव होना चाहिये, संविधान सभा नई बननी चाहिये, यह लोक सभा सविधान सभा नही बन सकती, क्योंकि केवल गरीबी हटाओ का नारा देकर आप यहां आये हैं, पिछले 3 सालों मे गरीबी नही हटी, बल्कि बढ़ी है, साढ़े तीन रुपया किलो मिलने वाला तेल, मैं साढ़े चौदह रुपया किलो में लाया - मेरे जैसा आदमी भी गरीब होने लगा। साढ़े तीन रुपया किलो मिलने वाली चीज यदि साढ़े तीन रुपये किलों में ही मिलती तो मैं कहता कि गरीबी हटी नही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि गरीबी हटी नहीं, बढ़ी है। इसी को आप जनता का विल मानें, तो मैं तो

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह सारा दोष कैसे पैदा हो गया है, उद्योगों में विकास क्यों नहीं हुआ, उद्योगों के विकास की गति क्यों नहीं बढ़ी ?

कहते हैं कि देश की आबादी बढ़ी है— मैं कादार साहब को बतलाना चाहता हूं— दुनिया में जो आबादी बढ़ती है, मक्सिको को छोड़ दीजिए, तो फिर हमारे यहां ज्यादा आबादी नहीं बढ़ी है, 2.5 या 2.7 से ज्यादा नहीं बढ़ी है, जब हमारा देश ही इतना बड़ा है तो क्या करें। अगर हमारा देश भी दो ढाई करोड़ का होता तो बात दूसरी थी। हम उस समय 40 करोड़ थे, अब यदि 56 करोड़ हैं तो डेढ़ गुना भी नही बढ़ी, यदि 60 करोड़ होती तो डेढ़ गुना होता। इस के मुकाबले जो उत्पादन के आंकड़े मैंने दिखाये थे – आप ने जो डायरी दी है, उस में जो उत्पादन के आंकड़े दिये है। वे हर दृष्टि से दो गुना बढ़े हैं, गहूं चार गना बढ़ा है, 6 मिलियन टन से 23 मिलियन टन बढ़ा, चावल 22 मिलियन टन से 44 मिलियन टन बढ़ा, अर्थात दुगना बढ़ा, दालें भी इसी तरह से बढ़ी हैं, लेकिन इन के मुकाबले आबादी तो डेढ़ गुना भी नही बढ़ी—

The root-cause of this population is the sin of marriage. Abolish marriage, ban it Constitutionally, stop it.

यह तो आप लोग करते नही हैं, पहले तो इस चक्कर में पड़ते हो फिर लोगों को गाली देते हो। मेरे कहने का मतलब है कि देश बहुत बड़ा होने की वजह से, जहां जहां रोक लगानी चाहिये वह लगाया नही, पानी का उपयोग करना चाहिये, नही किया, जनता का उपयोग करना चाहिये, नही किया, उद्योगों में पैसा लगा कर मनाफा कमा कर, जनता को जो लाभ पहुंचाना चाहिये था, वह नही पहुंचाया, जिस में संविधान बिलकुल बाधक नहीं होता, वह सब करना चाहिये था, लेकिन नहीं किया।

स्टेट्स और सेन्टर का झगड़ा आया— हम यह मानते हैं कि हमारा जो संविधान है उस का फैडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन सारी स्प्रिट यूनीटरी है। फैडरेशन स्टेटस् है वे अपनी पावर्स केन्द्र को देती हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां तो सारी पावर्स केन्द्र के हाथ में है, इसी लिये हम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं।

India that is Bharat, Shall be a Union of States. India, that is an ancient nation.

लेकिन यह भावना नहीं है, राष्ट्रपति को सामने रख कर मैं उस का अंग हूं, यह भाव नहीं है, इसी लिये हर जगह झगड़ा पैदा होता है।

यदि सामन्जस्य का अभाव होता है तो हर जगह झगड़े होते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी में झगड़ा होगा तो हर पार्टी में होगा। इसीलिए यह इन्टर स्टेट रिलेशन्स के झगड़े जो आए हैं, सेन्टर और स्टेट के झगड़े भी जो आए हैं वह इसी वजह से आते हैं क्योंकि हरएक मे मेरा और तुम्हारा देखने की कोशिश की जाती है। आपकी गलती यह होती है एक बार बड़ी पार्टी झगड़ा करने लग तो हमारी जैसी छोटी पार्टी भी झगड़ा करने लगेगी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वह कहेंगे कि कांग्रेस झगड़ती है तो हम भी झगड़ेंगे। उनके सामने वह आदेश रहता है। इस तरह आप अपना झगड़ा हमारे घर मे भी लाते हैं। यदि आप झगड़ा नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि झगड़ा करना ठीक नही है। किन्तु गाव में एक जगह बीमारी शुरू होती है तो वेश्या को भी आती है और विवेकानन्द स्वामी को भी आती है, कोई उससे अछूता नही रह सकता। इसलिए बीमारी को रोकने की कोशिश करनी चाहिये। इसलिए मैं मिश्रा जी से कहना चाहता हूं कि जितनी समस्यायें हमारे सामने खड़ी हैं उनका विश्लेषण करके देखते कि वह संविधान की वजह से है या नहीं। उसमें अमेन्डमेन्टस तो होते आते है।

जीवन गतिमान है उसको चौखट के अन्दर बांधा नहीं जा सकता। परिस्थिति के अनुसार यदि लगता है कि यहां बदल होनी चाहिए तो उसकी गुंजायश इसमे है। परिस्थिति के अनुसार हमे क्या करना है उसको हम कर सकते है। लेकिन देखने की बात यह है कि हमारे ऊपर जो दायित्व था उसको हमने निभाया है या नही? जो वायुमण्डल देश मे पैदा करना चाहिए, जो शक्ति है उसको देश और समाज के लिये लगायेंगे यह भाव पैदा नही किया, शिक्षा मे परिवर्तन नही किया, गावो मे यदि स्कूल खोले तो बिल्डिंग नही है बिल्डिंग है तो मास्टर नही है, मास्टर हैं तो तनख्वाह नही है, तनख्वाह है तो बाजार मे चीज नही है, उपर से नीचे तक सब कुछ गोल-माल है लेकिन क्या इस गोल माल के लिये सविधान जिम्मेदार है? सविधान को दोषी ठहराना दूसरो को दोषी ठहराना लगता है। इसलिए यदि नया सविधान बनाना हो तो उसके लिये चुनाव हो, जनता के सामने हम जाये, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सविधान बनायगे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हू।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) सभापति जी, अभी मैंने जोशी जी के भाषण को सुना। यह उनका भाषण था या प्रवचन था—इसमे फर्क करना जरा मुश्किल हो जाता है। उन्होने गीता और वेद के श्लोक तथा मत्र बताते हुए बड़े अच्छे ढग से तकरीर की लेकिन जरा उनकी अज्ञानता भी जाहिर हो गई। जो रेजाल्यूशन यहा पर पेश किया गया है, जोशी जी यह समझ रहे है कि वह गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है लेकिन यह गलत है। यहा पर हर शुक्रवार को नान-आफिशियल रेजोल्यूशन पेश किए जाते है, जिस तरह से मिश्रा जी ने यह रेजोल्यूशन पेश किया है उसी तरह से कोई कम्युनिस्ट मित्र भी अपना रेजोल्यूशन पेश कर सकते थे, अपोजीशन का कोई भी मित्र पेश कर सकता था। ऐसी हालत में इसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन समझना और गवर्नमेंट को गाली देने के हदतक भाषण देना मैं समझता हू उचित नही है। उनको सिर्फ यह बताना चाहिए था कि कास्टीचयुएन्ट असेम्बली बनाई जाये या न बनाई जाये। अगर अपने भाषण को उसी हदतक महदूद रखते तो अच्छा होता। वे जितनी भी चीज हिन्दुस्तान मे है उन सभी को अपने भाषण मे लाये है। जहा तक उनकी यह बात है कि कान्स्टीट्यूशन को बदलने की जरूरत नही है, उस हद तक मैं जोशी जी से इत्तफाक करता हू बाकी उनकी सारी बात से विरोध प्रकट करता हू।

वे उसमे फेमिली प्लानिंग को भी ले आये। मै कहता हू कि दूसरे देशो मे फेमिली प्लानिंग के लिए क्या किया जा रहा है और हमारे यहा पर क्या है? हमारे यहा जनसघ वाले और मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि आबादी बढाते जाओ।

एक माननीय सदस्य जोशी जी ने शादी नही की है।

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी : शादी नही की होगी लेकिन शादी ब्याह के मामले मे बहुत से लोग डेक्लेयर नही करते हैं तो उनमे कोई बाधा की बात नही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की पपुलेशन 60 करोड के ऊपर हो गई तो मै समझता हू न सिर्फ काग्रेस गवर्नमेंट बल्कि पूरे लोग मिलकर नेशनल गवर्नमेंट भी बनावे तब भी इस मुल्क के लोगो की समस्याओ को हल करना मुश्किल है। इस लिए पूरे कान्स्टीट्यूशन को तो मैं बदलवाना नही चाहता लेकिन इस हदतक बदलवाना चाहता हू, जिस तरह मे हम लोग अमेन्डमेंट लाते है उसके जरिये से कि किसी आदमी के दो बच्चे से ज्यादा हुए तो तिसरे बच्चे को कोई सोसल बैनीफिट्स नही दिये जायगे। लार्मिनिस्टर साहब से मैं एक बिनती और करना चाहता हूं . . .

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

सभापति महोदय : जो विषय है उस पर आप आ जाइये, आप तो फैमिली प्लानिंग पर आ गये ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मेरे कहने का मतलब यह है कि संविधान को बदलने की जरूरत नही है । आप अच्छे कामो के लिए संविधान मे संशोधन करते हैं । एक संशोधन और भी करना चाहिए और उसको अगर कर दिया गया तो फिर संविधान को बदलने की जरूरत नही रहेगी । वह अमेन्डमट यह है कि अपोजीशन मे कोई भी पार्टी 25 मैम्बरो को भी अगर पार्लियामैंट मे न भेजे तो उसका रिकग्निशन नही होना चाहिए इस मुल्क मे ।

सभापति महोदय : जो विषय है उसी पर आप बोलें ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आप देख की फ्रान्स मे फर्स्ट रिपब्लिक से लेकर फिफ्थ रिपब्लिक नतक बनी हैं, कान्स्टीट्यूशन असेम्बली बनाई, कान्स्टीट्यूशन को बदला गया लेकिन फिर भी वहा पर स्टेबिलिटी खत्म हो गई है । इसी तरह से जर्मनी मे देखें कि फर्स्ट रीच से फिफ्थ रीच तक पाच कान्स्टीट्यूशन्स विभिन्न कान्स्टीटुएन्ट असेम्बलीज के द्वारा फ्रेम किये गये लेकिन नतीजा क्या हुआ ? बाद मे हिटलर पैदा हुआ और उसने लास्ट रीच को समाप्त कर दिया । इस लिए मैं नही समझता कि संविधान को बदलने से समस्या हल हो जायेगी ।

मैं जोशी जी से इत्तफाक करता हू कि हमारी योजनाओ का जो इम्प्लीमेन्टेशन है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है । सही इम्प्लीटेशन से सही रिजल्ट्स निकलते हैं । इस लिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए अच्छा इम्पलीमेन्टेशन होना चाहिए । लेकिन इम्पलीमेन्टेसन में जो अपोजीशन पार्टीज हैं वह बडी बाधाएं पैदा कर रही हैं । (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि इम्प्लीमेन्टेशन में कोई गल्ती नहीं है हुकूमत की तरफ से लेकिन अपोजीशन वाले इम्प्लीमेन्टेशन में रोडे अटका रहे हैं । अगर अपोजीशन वाले भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और सही कदम उठाएं तो फिर हमारा कान्स्टीट्यूशन अच्छी तरह से लागू हो सकता है । कान्स्टीट्यूशन के जरिये हम जो भी लाभ उठाना चाहते हैं उस को हासिल कर सकते हैं । हम देखते हैं एलैक्शन होने के दूसरे दिन ही अपोजीशन वाले बन्द, हडताल, और स्ट्राइक शुरू कर देते हैं और सदन मे आकर हुल्लड करते हैं । मैं कहता हू कि किसी भी मुल्क मे ऐसा नही होता है । वहा पर जो एलक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव होते है उन को चार पाच साल का मोका दिया जाता ह लेकिन यह अपोजिशन वाले जिस दिन यहा पर एलेक्ट होकर आते हैं उसी दिन से हुल्लड शुरू कर देते हैं । अपोजीशन के लिए कुछ सीट तो हम लोग जान बूझकर छोड देते हैं क्योकि उनका रिप्रेजेन्टेशन बहुत कम है । अगर कभी दूसरे मुल्क वाला पूछेगा कि यहा पर अपोजिशन की क्या स्ट्रेन्थ है और हम कह दे कि वन थर्ड से कम है तो लज्जा की बात होगी । इस लिए हमने कुछ मौका दिया है ।

SHRI P NARASIMHA REDDY (Chittoor) Mr Chairman, Sir, after, hearing the Mover of the Resolution, Shri Bibhuti Mishra, setting out the reasons which motivated him to move this Resolution before us, I would like to place before the House for consideration certain grounds for not accepting the Resolution.

It is no doubt true that 25 years of independence has not given satisfaction not only to Shri Bibhuti Mishra but to many others, both in this House and outside in the country The objectives set out in the Constitution, namely, to bring in social and economic justice in the country, that has not yet been achieved. So, I can appreciate the righteous indignation of the Mover which has motivated him to bring forward this Resolution.

But the reasons given by him and those who followed him while supporting the Resolution do not, in my opinion, disclose valid reasons for rejecting the present Constitution lock, stock and barrel and convening a Constituent Assembly for drafting an entirely new Constitution. The primary concern expressed by the members was that in spite of our independence and Constitution, we have not yet succeeded in removing casteism, regional disparity, mass poverty and illiteracy from our country. But we must remember that mere constitutional changes will not abolish the prevailing disparity or even the existing poverty from the country. No Constitution by itself has ever done it because it does not flow from the Constitution as such.

If you go into the reasons given for convening a Constituent Assembly for drafting a new Constitution, in my opinion, it is a disastrous course which would lead to disastrous results in the country. Shri S. A. Kader. who partly supported the Resolution. said that the basic structure of the Constitution has got to be changed if the future of the country is not to be jeopardised any further. He has also suggested that the federal structure has got to be given up in favour of the unitary structure. According to him, because the country is divided into many States nobody is responsible for anything that happens in this country. If that is his contention, the States may as well say "we will take care of all the problems; let us abolish the Centre". Such a course would open the Pandora's box of controversy, many divisive forces will come into the open which may undermine the very integrity of the nation.

I do not know why some people say that our Constitution should be changed lock, stock and barrel. Immediately after the judgment in the Golaknath case, in which the Supreme Court had held that the Parliament has got very limited powers with regard to the amendment of the fundamental rights, one could have said that a road block is existing in the way of achieving social justice because of this judgment.

If this resolution had been moved in such a situation, certainly everyone would have supported it because then there was no other go on account of that judgment of the Supreme Court which put a block on the amending powers of Parliament. Now such a situation no longer exists. Both the 24th and 25th Amendments to the Constitution have been held valid by the Supreme Court which has said that Parliament is supreme in respect of the amendment of this Part of the Constitution also. Therefore, in such a situation, to demand that the present Constitution should be abolished and a new Constituent Assembly should be convened to draw up a new Constitution is unimaginable and unnecessary. Therefore, I do not support this Resolution. In fact, I appeal to the mover of this Resolution to withdraw it.

SHRI MURASOLI MARAN (Madras South): M. Chairman, Sir, I congratulate the hon. Member, Shri Bibhuti Mishra, for having brought forward this Resolution which is thought-provoking. I welcome this Resolution because we can demonstrate to the nation and to the world that there are many people who are not at all satisfied with the present Constitution.

As regard his Resolution, I may not like the first part, "that the present Lok Sabha may be declared as a Constituent Assembly". But I am for a new Constituent Assembly to frame a new Constitution and to create a Second Republic.

My grouse against the present Constitution is that it is not at all federal. According to the Administrative Reforms Commission, our Constitution is neither federal nor unitary. We can very well say that it is a hybrid type

[Shri Murasoli Maran]

of Constitution. We all know that the Constituent Assembly met in the historic Central Hall just to frame a Constitution in corporating the Cabinet Mission Plan. Actually, the Cabinet Mission Plan though of giving only foreign affairs, defence and communications to the Central Government and all the rest to the States.

Unfortunately, Pandit Nehru who was the leader of the Congress then, on 10th July, 1946, in a press conference ot Bombay threw a bomb-shell on this entire scheme. In one of his unguarded moments, he created certain doubts. He declared that the Congress was entering the Constituent Assembly and it may change, at its own pleasure, the entire Cabinet Mission Plan. It came as a bomb-shell and Mr. Jinnah went back to his shell and declared that no force on earth can stop Pakistan. That is why the Cabinet Mission Plan did not come into being. We saw the partition of the country and, recently, we saw one more nation emerging on the eastern side.

Until June 3, 1947, when Lord Mountbettan announced on August 15, that England will recognise two Indian States, the Constituent Assembly was working on a minimal federation in the sense that the Centre will be having only defence, foreign affairs and communications. So, many Committees were formed to go into that kind of scheme only. But, unfortunately, as the events turned out, after the creation of Pakistan, all the members of the Constituent Assembly changed their mind. The phobia of partition was there. So, the pendulum swung from this end to the other end, from the minimal federation to the maximal federation.

Secondly, my grouse against the Constitution is that even though we declare, "We, the people of India...in our consituent Assembly...do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution", it is not true. First of all, as Shri Bibhuti Mishra pointed out, the Constituent Assembly members were not elected on adult franchise. As we elect the Rajya Sabha Members, the election was an indirect one and the member of the Constituent Assembly got elected by the 1935 Scheme, who were all property owners. That is why those property owners created a Constitution to protect the property and it was convenient for them to have a big common market. That is why we find too much centralisation in our Constitution.

Even then, in many parts of the world, whenever they made a constitution, it was put to the people in the form of a referendum. It was not done in India. Even if the Constitution were put to the people, it is true, the Congress would have got the majority. There is no doubt about it. But they did not do it. If they had put it to the people, a least those who contested could have studied the Constitution or the people would have got some kind of involvement in the Constitution. That opportunity was lost.

The famous author, Mr. Granville Austin, in one of his celebrated books had analysed the correspondence that took place with the Congress High Command and the local zila and taluk Congress offices. He analysed all the correspondence. Not a single correspondence contained any detail or any discussion about the Constitution. Even in 1948, when there was a Conference at Jaipur, at the time the draft Constitution was ready, nobody in that conference discussed about the draft Constitution.

So, according to that author, the entire Constitution was prepared by obligarchy; a small group of people worked on the Constitution. So, even the Constituent Assembly members, the Congress members, and the people were isolated from Constitution-making.

With the shadow of Pakistan, we created a new type of Constitution, a hybrid type of Constitution which is neither unitary nor federal. In fact, according to experts like Basu and Iyer Jennings, we borrowed 75 per cent of the clauses and articles from the 1935 Act. That is why, many people call the present Constitution as a palimpsest copy of the 1935 Act. They forgot the Gandhian Principle that decentralisation should be the goal. At that time there were leaders like Panditji, Sardar Patel and Azad who were really God-like. They all thought that Congress would be ruling for ever. That is why, it is a Constitution prepared for a perennial Congress rule all over the States.

All the nation-building activities like education, health, road-building, etc., fall under the State Governments. But they have no financial resources commensurate with their duties. That is why we find that the Chief Ministers or Finance Ministers of the States come to Delhi with begging bowl in their hands. . .

AN HON. MEMBER: It is a distortion.

SHRI MURASOLI MARAN: Shri Virendra Patel, when he was the Chief Minister, used the same expression— 'we have to go to Delhi with begging bowl'. Even Mr. Brahmananda Reddy accepted this fact.

So, this is the position. The States, even though they are given the Constitutional duties—all nation-building activities—, are not in a position to implement them. In a country as vast as ours, with continental dimensions, with changes in cultures, languages and even in food habits, this kind of Centralised Constitution will never work, will never deliver the goods. The other day, Shri Shyamnandan Mishra was saying, in India there are no States but only estates of Central Government. That is what we are seeing now.

The Administrative Reforms Commission went into the provisions of the Constitution regarding Centre-State relations. They have agreed that there are frictions. But their conclusion was not to change the Constitution they suggested that the spirit of the Constitution should be looked into. What is the spirit? Nobody knows. We know how article 356 is being misused to subvert all the State Governments. At the time of enactment, Dr. Ambedkar said that that article would be a dead letter. Where is the spirit of the Constitution? It is flouted every day and every minute. I want to finish my speech with one quotation in the Constituent Assembly Prof. Ranga said:

> "One of the most important consequences of over-Centralisation and the strengthening of the Central Government would be handing over power not to the Central Government but to the Central Secretariat. From the chaprasi or daffedar of Central Secretariat to the Secretary there, each one of them will consider himself a much more important person than the Chief Minister of a province and the Chief Ministers of provinces would be obliged to go about from office to office of the Centre in order to get any sort of attention at all from the Centre."

This has come true. Recently we saw that one Chief Minister, during his short tenure of one year, had come to Delhi about 110 times. Such is the position. That is why the need to change the position. .

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): He has got a house here.

SHRI MURASOLI MARAN: I mean the other Chief Minister.

That is why we demand that, to deliver the goods, India should have a purely federal Constitution and we should have a Second Republic based on the principles of State autonomy.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : संविधान एक बड़ा क्रान्तिकारी दस्तावेज था और आज भी है। संविधान में हम जो चाहें संशोधन 358 के अन्दर कर सकते हैं। इस पार्लियामेंट को सविधान में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। 24 और 25वीं एमेंडमेंट्स पास होने के बाद तो इस अधिकार का विस्तार हो गया है। अब तो जिस किसी किस्म का संशोधन हम संविधान मे करना चाहे कर सकते है। हम को याद रखना होगा कि हिन्दुस्तान एक है और तमिलनाडु के भाईयों को भी इसको याद रखना होगा। तमिलनाडु मे दो अरब की प्राजेक्ट बन सकती है, राजस्थान कैनाल बन सकती है। देश की एकता को खतरा है इस तरह की बाते कहने की जिन को आदत है और जो यह कहा जाता है कि हम को पूरे अधिकार प्राप्त नही है, यह ठीक नही है। राजामन्नार की रिपोर्ट निकली। तमिलनाडु वाले कई बार उसका उल्लेख करते है। अलग ग्रुप में मे ये सोचने की कोशिश करते है। सविधान मे यह बात नही है। भारत एक है और उसकी सारी स्टेट्स का विकास होना चाहिए। इस वास्ते सवाल यह नही है। संविधान के अन्तर्गत जो हमने उद्देश्य बनाया था राजनीतिक असमानता मिटाने के बाद और जो गरीबी मिटाने का विषमता हटाने का उद्देश्य अपने सामने रखा था अगर वह प्राप्त नही हुआ तो इस मे सविधान का कोई दोष नही है। हजारों मन गीता की प्रतियां बिकने के बाद अगर एक भी गीता के श्लोक को कोई नही समझता है या उसके गुणों को नही लेता है, रामायण पढने के बाद अगर कोई उसके गुणों को ग्रहण न करे तो इस मे गीता या रामायण का कोई दोष नही है। सविधान को आप दोषी न ठहराये। सविधान मे कई एमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। आप कहते हैं कि स्टेट्स को पूरी पावर्स नही हैं। यह बात नही है। सवाल यह है कि संविधान के कारण क्या कोई रुकावट हमारे रास्ते में आई है?

हमारे मित्र ने कहा कि जो संविधान बनाने वाले थे वे बड़े पूंजीपति थे, कैपिटलिस्ट थे। सारे सविधान में इस तरह की कोई बात नही है। उस में तो यह है कि विषमता को कम करना होगा, डिस्पैरिटी को मिटाना होगा। उस तरफ अगर हमारे कदम नही उठे है तो उस में सविधान का दोष नही है। आप कहते है कि सविधान नया बनना चाहिये। जिन्होंने सकल्प पेश किया है उन्होंने यह नही बताया कि इस तरह के सशोधन सविधान मे होने चाहिए। गोलकनाथ के केस के बाद और साथ ही सज्जन सिह के केस के बाद जो जागीरदारिया खत्म की गई है और कसट्रेशन आफ वैल्थ का सवाल था वह तो खत्म हुआ और उमसे भी आगे हम बढ गए है। ऐसा एमेंडमेंट करने के बाद सम्भव हुआ है। कोई भी आदमी सम्पत्ति को कसट्रेट नही कर सकेगा। अब उसके बाद क्या रह गया है? बिना मतलब की बात आप कहते हैं। न तो प्रस्तावक ने और न हा तमिलनाड से आने वाले मित्र ने बताया है कि दोज आर दी थिग्ज। न ही माननीय सदस्य ने यह बताया है कि सविधान मे क्या कमी है। असल में कमी तो हमारे एक्शन मे है। अगर हमने वे कदम नही उठाये, जो हम को उठाने चाहिए थे, तो इस मे सविधान का क्या दोष है?

17.00 hrs.

अगर स्टेट्स मे भ्रष्टाचार है, तो संविधान ने स्टेट्स को पावर दी है। क्या सविधान कहता है कि भ्रष्टाचार पनपना चाहिए? क्या सविधान कहता है कि गरीबी दूर नही होनी चाहिए? संविधान ने तो कहा है कि गरीबी दूर होनी चाहिए और सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौका मिलना चाहिए।

यह बिलकुल गलत बात है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया, वे देश के लोगो का प्रतिनिधित्व नही करते थे। यह संविधान एक क्रान्तिकारी दस्तावेज है। अगर उस मे कोई संशोधन करना है, तो वह संशोधन यह पार्लियामेंट ही कर सकती है। प्राइवेट मेम्बज भी संविधान मे संशोधन करने के लिए विधेयक रख सकते है और रखते है एक नया संविधान बनाने के पक्ष मे जो कारण दिये गये है मै उन को समझ नही सका हू। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्टेट को देश का आगे बढाने और गरीबी को मिटाने के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाते चाहिएं। संविधान ने इस के लिए बहुत व्यापक अधिकार दिये हुए है। देश की गरीबी को दूर करने के लिए कोई नया संविधान बनाने की जरुरत नही है।

सभापति महोदय . इस रेजोल्यूशन का बहस के लिए दो घटे निर्धारित किये गये थे। यह बहस 3–37 बजे शुरू हुई थी है। साढे पाच बजे नियम 193 के अधीन चर्चा है।

I seek the sence of the House What should we do with this?—Shall we extend the time?

SOME HON MEMBERS Yes

MR CHAIRMAN I will call the Minister at quarter to six

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H R GOKHALE) Sir, you may please call me at 5-30 I will not take much time I will just take five to seven minutes

श्री मधु लिमये (बांका): सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र ने जो संकल्प सदन के सामने रखा है मैं उस की बुनियादी बात से सहमत हू और वह बात यह है कि वर्तमान संविधान बहुत असतोषजनक है, उस मे खामिया तथा त्रुटिया है और उस मे छोटे छोटे परिवर्तन करने से वह ठीक नही होने वाला है। सरकार 30, 31 परिवर्तन कर चुकी है। इस में सौ परिवर्तन किये जायें, लेकिन जब तक हम इस के ऊपर बुनियादी तौर पर पुनर्विचार नही करेंगे, तब तक इस मे कोई सुधार होने वाला नहीं है।

श्री मिश्र नई कांस्टीट्यएट एसेम्बली की मांग आज कर रहे हैं। लेकिन मेरे दल ने इस माग को 1946 मे ही उठाया था और हम ने कहा था कि जो कास्टीट्युएन्ट एसेम्बली अग्रेजो के द्वारा सगठित की जा रही है, उस मे हम लोग सम्मिलित नही होगे और हमारे जो बुजुर्ग नेता थे—आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जय प्रकाश नारायण और डा० राम मनोहर लोहिया उन्होने उस कास्टीटयूएन्ट एसम्बली का बहिष्कार किया।

उन्होने ऐसा क्यो किया था ? उनका कहना था कि कान्स्टीट्युएन्ट एसेम्बली के लिए सीधा चुनाव होना चाहिए, लेकिन वह अप्रत्यक्ष ढंग से चुनी हुई कास्टीट्युएन्ट एसेम्बली थी। और अग्रेजो के जमाने मे अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए फ्रैंचाइज मतदान का अधिकार मुश्किल से 19 प्रतिशत लोगो को प्राप्त था। इस के अतिरिक्त रियासतो के जो प्रतिनिधि थे, वे नामजद किए हुए थे। हमारे ये तीन मुख्य आक्षेप थे (1) बालिग मताधिकार पर कास्टीट्युएन्ट एसेम्बली का चुनाव नही हुआ है, (3) उस के दो-तिहाई प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष चुनाव स चुने गये है और (3) एक-तिहाई प्रतिनिधि—रियासतो के प्रतिनिधि—तो सीधे नामजद किये गहे है।

जो संविधान बना, उस मे जो बडी बडी खामिया है उन्ही की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हू। संविधान मे फडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज मे जो भेद किया गया है, वही सारे झगडे और विवाद की जड है। उस भेद के कारण एक कृत्रिम बहस, एक नकली बहस, हमारे देश मे चल पडी है। मैं चाहूंगा कि इस भेद को खत्म कर दिया जाये और मौलिक अधिकारों का पुनर्निर्माण किया जाये। कैसे किया जाये ? इस के बारे में मेरे तीन सुझाव हैं :

[श्री मधु लिमये]

मैं नहीं चाहता कि आर्टिकल 19(1) (एफ), जो सम्पत्ति के बारे में है, आर्टिकल 31, 31ए, 31बी 31सी का मौलिक अधिकारों में समावेश हो। अगर इस बारे में कुछ रखना ही है, तो यह रखना चाहिए कि सम्पत्ति, आमदनी और खर्च पर सीमा, लिमिट लगाई जाये और जिस के पास उस से अतिरिक्त सम्पत्ति हो, राज्य को उस को बिना मुआवजा दिये अपने हाथ मे लेने का अधिकार होना चाहिए। वह लिमिट एक लाख रुपये की हो या दो लाख रुपये की हो, लेकिन कोई न कोई लिमिट जरूर होनी चाहिए। हम इस बारे मे व्यावहारिक ढग मे बात करने के लिये तैयार हैं।

सम्पत्ति और आमदनी के साथ साथ खर्च पर सीमा, लिमिट लगाने की बात मै इस लिए कह रहा हू कि आज कल कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी सम्पत्ति ना रखेगे नही, लेकिन पूरे राष्ट्र की सम्पत्ति का [illegible] सम्पत्ति समझेंगे और [illegible] इस [illegible] शाही और [illegible]।

निर्देशक सिद्धान्तो मे बहुत [illegible] है। जैसे [illegible] सिद्धान्त है लेकिन सरकार [illegible] चली जा रही है। यह [illegible] और [illegible] क्यो है। इस से अच्छा है कि [illegible] बन्दी का निदेशक सिद्धान्तो मे से निकाल दिया जाय।

निर्देशक सिद्धान्तो मे यूनिफार्म सिविल कोड की बात भी कही गई है। सरकार इस के द्वारा मुसलमानो को चिढाती है। डराती है और फिर कहती है कि हम यह नही करेंगे इस तरह वह वोट हडपना चाहती है। इन बातो को निर्देशक सिद्धान्तो में से निकाल देना चाहिए।

निर्देशक सिद्धान्तो मे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का भी उल्लेख है। मैं चाहूगा कि यह शिक्षा समान, मुफ्त और अनिवार्य हो। मैं इस में "समान" इस लिए जोड़ना चाहता हूं कि यदि बचपन से ही पब्लिक स्कूल, जो वास्तव में पब्लिक नहीं है, और साधारण स्कूल का फर्क किया जायेगा, तो फिर समाजवाद, समानता और सोशल जस्टिस आदि कुछ भी चलने वाला नहीं है। अगर मेरे मित्र, श्री पीलू मोदी, और हम लोग एक स्कूल मे पढते, तो श्री पीलू मोदी किसी दूसरे ढग के आदमी, बहुत अच्छे आदमी बन गये होते। म्युनिसिपल और गरीबो के स्कूल मे पढ कर भी मैं किसी भी मामले मे किसी से कम नही हू। यह मै सबूत के तौर पर पेश कर के कहना चाहता हु कि पब्लिक स्कूलो की कोई जरूरत नही है।

इसी तरह काम करने के अधिकार को निर्देशक-सिद्धान्तो मे क्यो रखा गया है। संविधान मे कहा गया है [illegible] दि प्रिंसिपल्स [illegible] आर फंडामेंटल इन दि गवर्नेंस आफ दि कन्ट्री'। लेकिन [illegible] इतनी [illegible] सिद्धान्तो को [illegible] नहीं [illegible]।

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्य को इन्टरप्ट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन क्या [illegible] संशोधन में ऐसा प्रावधान नहीं है जिन के द्वारा वे सब संशोधन किये जा सकते है, जिन का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे है?

श्री मधु लिमये: आखिर कितने संशोधन एमेंडमेंट करेंगे ? मैं पूरा चित्र आपके सामने रखूगा, तो आप मान जायेंगे।

अब मैं मौलिक अधिकारो पर इसी लिए आ रहा हू। मैं यह चाहूगा कि रोजगार या काम करने का अधिकार और पब्लिक असिस्टेन्स इन केस आफ अनएम्प्लायमेंट यह भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकार

और निर्देशक सिद्धांतों में फर्क यही है न—दोनों अधिकार हैं लेकिन एक अधिकार को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मे जा सकते है और दूसरे अधिकारो के बारे मे आप कोई अदालती कार्यवाही नही कर सकते है । (व्यवधान) ....

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा और यह बहुत बुनियादी है कि मौलिक अधिकारों को दो वर्गों मे बाट सकते है। हमारे सविधान मे बहुत सारे अधिकार हैं। एवार्ड न दिया जाय या टाइटिल न दिया जाय यह भी फडामेंटल राइट है। लेकिन मै चाहूगा कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के जो अधिकार है—क्योंकि ये लोग फडामेटल राइट्स मे हमेशा गडबडी करते है, मुझे सम्पत्ति के अधिकार से मतलब नही है इस को निकाल दीजिये या इस पर प्रतिबन्ध लगा दीजिए लेकिन व्यक्ति गत स्वतन्त्रता के जो अधिकार हैं भाषण की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता इन को मैं विशेष स्थान देना चाहता हू और यह मै कोई अपनी बात नही कह रहा हू। मै सुप्रीम कोर्ट मे भी इस को पेश कर चुका हू। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बडे विचित्र है। जजमेट देते समय तो लिखेंगे एमेंशियल फीचर और कहेगे कि यह ऐसे अधि-कार है कि जिन के बिना लोक तन्त्र चल ही नही सकता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति स्वतन्त्रता के केस के बारे मे जजमेट लिखने का सवाल आएगा तो इन की दृष्टि मे सम्पत्ति के अधिकार मैं और इस अधिकार में कोई फर्क नही है बल्कि तराजु का पलड़ा दूसरी और ही झुकता है। मै आप से कहना चाहता हू कि अमेरिका मे माइकल जोन ने इस सिद्धात को रखा और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजमेट मे अब इस का उल्लेख होने लगा है। खास कर के वारेन के जमाने से। एक यह सालिसिटर जनरल की किताब है, मैं केवल एक उस में से उद्धरण दूगा

"Self-government, as the Warren Court sees it, begins with lively, indeed lusty and uninhibited, debate over issues, candidates for office and the conduct of public officials. Dr. Alexander Meiklejohn argued that whereas other constitutional immunities are restrictions projecting the citizen against, abuse of the powers delegated to Government by the people, the guarantees of freedom of speech and the press are measures adopted by the people as the ultimate rulers to withhold all power over these subjects from their legislative and executive agents. The court adopted something very like this view of the absolute protection to be accorded political debate when Justice Brennan wrote for the court that 'speech concerning public affairs is more than self-expression It is the essence of self-government'. In a subsequent lecture, Justice Brennan acknowledge the indebtedness to Dr. Meikhlejohn"

तो नया सविधान बने उसमें मैं चाहूंगा कि भाषण की जो स्वतन्त्रता को विशेष स्थान हम लोग दे। .....

एक ही मुद्दा और कह कर अब खत्म करूगा।

सभापति महोदय : मैं खुद ही सुनना चाहता हू लेकिन आप ने दस मिनट कहा था वह दस मिनट हो गये।

श्री मधु लिमये : क्या किया जाय लोग बीच मे टोकते भी हैं।

मै अब केवल मद्दो को बताता हूं। उन क विश्लेषण नहीं करता हूं। मैं यह कहता हूं कि इस सविधान से राज्य और केन्द्र के रिश्ते बिगड़े हुए है और राज्यों को हम ने पटवारी का दर्जा दिया है जबकि गोखले साहब और ये सारे मंत्री कलेक्टर हैं। जब इन के मन में आता है। राज्यों की सरकारों का बरखास्त कर देते हैं। इसीतरह में राज्य और स्थानीय निकाय जो हैं उन के सबधों का तो जिक्र नहीं है। जिस तरह केन्द्र राज्यों के साथ

[श्री मधु लिमये]

पटवारी की तरह सलूक करता है राज्य सरकारें म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल बाडीज के साथ भी वही सलूक करती हैं, उन को भी वह पटवारी समझती हैं। आज हरयाने मे एक भी म्यूनिसिपैलिटी जीवित नही है। सभी म्यूनिसिपैलिटीज को बरखास्त कर दिया गया है कलकत्ता कारपोरेशन को एक आर्डिनेन्स के द्वारा बरखास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मे चार कारपोरेशनशस पाच मे से बरखास्त कर दिए गए। अकेले बम्बई की महानगर-पालिका थी जिस को पूरी स्वायत्तता थी। सरकार को अधिकार नही था बरखास्त करने का। लेकिन विगत साल चूकि उन्होने एक रुख से बोनस देने का निर्णय किया महाराष्ट्र की पापी सरकार ने उस की भी स्वायत्तता को खत्म किया और अब उनके द्वारा जो खर्चा किया जायगा अपनी आमदनी से उस के अदर भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप होने लगेगा। तो ये बिगडे हुए रिश्ते हैं। मैं चाहूगा कि ऐसा सविधान बने जिस मे सीमित अधिकार वाला केन्द्र, सीमित अधिकार वाला राज्य सीमित अधिकार वाली म्यूनिसिपैलिटीज और अन्य लोकल बाडीज हो। एक दूसरे के अधिकारों पर वे अतिक्रमण नही करें और किसी को भी दूसरे को बरखास्त करने का अधिकार नही होगा

अब राज्य सभा को लीजिए। क्या है यह राज्य सभा, यह समझ मे नही आता है। 30-32 एम एल एज मिल कर इस के सदस्यों को चुनते हैं और कई एलेक्शन पेटीशस में यह साबित हुआ है कि आजकल सोनपुर के मेले में जिस तरह जानवर बिकते हैं उसी तरह एम एल ए भी बिकने लगे हैं। एक दो केसेज में यह साबित हुआ। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सभा की गरिमा को भी अब बढाना चाहिए। आप राज्य सभा को सीधे चुनावों के जरिए चुनिए।

एक माननीय सदस्य : फर्क क्या करेंगा ?

श्री मधु लिमये : फर्क रहेगा। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य सभा को करता है। लेकिन राज्यों के कोई मामले उठते हैं वहां? केवल लोक सभा के अधिकारो को छीनने का और उस का डूप्लीकेशन करने का उसको दोहराने का काम राज्य सभा करती है। राज्य सभा का रोल होना चाहिए था कि राज्यो का प्रतिनिधित्व करे। मैं चाहूंगा कि छोटे राज्यो के प्रतिनिधित्व को बढाया जाय और बड़े राज्यो जैसे उत्तर प्रदेश आध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इन के प्रतिनिधित्व को घटाया जाय। तब जा कर आप की फेडरल हुकूमत ठीक ढग से चलेगी। और भी मैं चाहता हू कि राज्य सभा को कुछ विशेष अधिकार आप दीजिए। सुरक्षा नीति या वैदेशिक नीति के बारे मे अधिकार दीजिए जैसे वित्त की नीति के बारे मे लोक सभा को है। न्यायालयो की स्वतत्रता का सवाल भी आता है। उस के बारे मे मैं इस वक्त नही बोलना चाहता हू क्योंकि एक बिल अटल जी का आ रहा है।

एक मेरा सुझाव जरूर है कि लोक सभा की कमेटियो को राजदूत, न्यायाधीश और गवर्नर इन की नियुक्ति पर—अखबार वाले गलत छापते हैं, मैं लोक सभा को एप्वाइटमेंट करने का अधिकार मिलना चाहिये यह नही कह रहा हू—इन की नियुक्ति पर इन का नियंत्रण हो। एप्वाइंट वह करे, मैं वह अधिकार नही चाहता हूं। लेकिन जिस तरह अमेरिका की सिनेट की जूडिशियल कमेटी है जिस मे बड़े बड़े चोर पकडे जाते हैं। ए० बी० फोर्टस आप जानते हैं प्रेसीडेंट जानसन का खास व्यक्ति माना जाता था। जूडिशियल कमेटी की वजह से सारे मामले खुल गए। उन को इस्तीफा देना पड़ा। प्रेसीडेंट निक्सन के दो जो एप्वाइंट थे उन को सिनेट ने नहीं माना अगर यहां हम को मौका होता तो हम के जो एप्वाइटी हैं उन की धज्जियां हम उड़ा

देते । नही चल सकते थे वह । अगर हम लोगों को मौका मिलता तो मैं आप से कहता हू कमेटियो मे इस तरह से नही होता, बहुमत और अल्पमत से मामला नही चलता है, आज प्रेसीडेंट निक्सन का इम्पीचमेंट करने की बात रिपब्लिकन पार्टी के भी लोग करते है। इसलिए मै चाहूगा कि आप लोग जरा स्वतत्र बनिए। हमेशा रघुरमैया जी के व्हिप पर मत चला करिए।

(व्यवधान) मिश्र जी कहते है कि बगावत करिए। अरे, बाहर बगावत करने के पहले लोक सभा मे बगावत करना सीखिए।

तो बहुत सारे मामले है। आप सोचिए कि सशोधन विधेयक के जरिए पूरे सविधान के बारे मे क्या विचार हो सकता है? इसलिए मैं चाहता हू कि नई विधान सभा बने और अब बगल के लका देश मे बनने के बाद तो मानेगे कि नई सविधान सभा बन सकती है। लेकिन इन के सुझाव मे जबर्दस्त खतरा है। यह कहते हैं कि वर्तमान लोक सभा को कास्टीट्यूएट असेम्बली बनाइए। आप धोखा धडी करना चाहते है भारत की जनता के साथ? आप ने जब वोट लिया तो सविधान निर्मात्री परिषद् के लिए नही लिया। लेजिस्लेचर और कास्टीट्यूएट असेम्बली में बहुत बडा फर्क है। इस लिए मै कहूगा कि मेरे सशोधन को वह मान ले कि अगर नई कास्टीट्यूएट असेम्बली बनाना चाहते है तो जनता के सामने जाय, जनता को बताए कि आप को अगली लोक सभा को भी चुनना है और कास्टीट्यूएट असेम्बली को भी चुनना है।

लोगो के साथ धोखाधडी कर के कास्टीचूएन्ट असेम्बली के अधिकार छीनने का प्रयत्न मत कीजिये। यह बहुत गलत कदम होगा। इस लिये मैं विभूति मिश्र जी के इस सिद्धान्त की सराहना करते हुए भी कि नई सविधान निर्मात्री परिषद् होनी चाहिये, मैं कतई इस बात के लिये तैयार नही हू कि वोटर्स के साथ धोखाधडी कर के, गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ के झूठे नारे दे कर, 500 जीपें लूट कर, जो वोट प्राप्त किया है. (व्यवधान)......

अनेक माननीय सदस्य यह झूठ है।

श्री मधु लिमये मैं जानता हूं कि सवा सौ करोड रुपये की डिफेन्स की जीपें हड़पने का प्रयास किया था। जिस प्रश्न को छिपाया गया था, अब मंत्री महोदय का जवाब आया है। इस लिये मैं यह मानने को तैयार नही हूं। आप को ऐसा मेन्डेट प्राप्त नही हुआ है कि इस लोक सभा को कास्टीचूएन्ट असेम्बली बनाये। अगर नई कान्स्टीचूएन्ट असेम्बली बनाना चाहते हैं तो जनता के पास जाइये नया आदेश, मेन्डेट लीजिये और इन अच्छे सिद्धान्तो के आधार पर नया सविधान बनाइये।

हमारा फैडरल रिपब्लिक—अगर आप चाहते है—कि चिरस्थायी हो टूटे नही, विघटित न हो तो पाकिस्तान के विघटन से सबक सीखिये। शुरू मे मुस्लिम लीग आटोनामी वाली थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना, केन्द्रीयकरण वाली बन गई। सब यही चाहते थे कि फैडरल रिपब्लिक बनायेंगे लेकिन 1947 के बाद उन के दिमाग खराब हो गये। इस लिये मैं चेतावनी देना चाहता हू—बंगला देश की घटना से सबक सीखिये और राज्यो को गुलाम बनाने का प्रयास न कीजिये, उन की स्वायत्तता और उन के अधिकारो को मानिये। मैं राज्यो से भी कहूंगा—महात्मा गांधी जी ने जो विकेन्द्रीकरण का नारा दिया था, डा० लोहिया ने चौखम्बा राज्य का नारा दिया था, उस पर विचार कीजिये, तभी अच्छा संविधान बनेगा।

*DR. RANEN SEN (Barasat): Mr. Chairman, Sir, I cannot accept the resolution that has been introduced by Shri Bibhuti Mishra. I, however, concede that there are many shortcomings and loopholes in the present Constitution and this has been amply proved by the fact that this very House had to amend the Constitution as many as thirty one times. The Constitution was framed by people, who were elected indirectly getting only 13 per cent votes of population, and comprised mainly of those who were at the higher strata of the society, and because of this, the Constitution contained many shortcomings. Therefore, there is a need for a drastic change in the Constitution but this by itself does not encourage me to support Shri Mishra's resolution. If the Constitution is to be amended then it is necessary to form a Constituent Assembly afresh on the basis of adult franchise. But my submission in this connection is that the present House was constituted in 1971 after a general election on the basis of adult franchise and this House has a l powers to make necessary amendments to the Constitution and the latest judgment of the Supreme Court has also confirmed this necessary right of the House to do it. Therefore, there is no doubt that the House has the necessary powers and the Constitution can be and should be amended in the interest of the people just as it had been amended thirty-one times in the past. I would not like to go into the details of the various shortcomings—big or small—that are there in the Constitution but I would only like to stress upon one point only. Sir, this House has all the powers to curb the growth and influence of the capitalists, monopolists and the big-property class in the country and through the various amendments of the Constitution. This House has given these powers to the Government to do needful but my pertinent question in this context is what precise steps the Government have taken to attain this objective. I do remember, Sir, that during 1967-68 and prior to that also this House had accepted with one voice barring a few reactionaries. The Constitution amendments that were made during these days. But have we really been able to put into action the principles that lay behind those amendments The last judgment of the Supreme Court has set at rest the controversy raised about the implications of the Fundamental Rights and the Directive Principles of the Constitution. There is no denying the fact that a great majority of the members of this House belonging to different parties sincerely cherish the progress and prosperity of the country as there are equal number of such people outside the Parliament too. But at the same time, there are some reactionary forces who are against it and who want to impede the march of progress. This section of the people want that even if it is necessary to amend the Constitution, then the amended provisions should uphold their interest only

Therefore, there is a constant clash between the forces of progress and the forces of reaction Such a conflict exists in this House, it exists among the people outside and it exists amongst the different political parties in the country. Therefore, it is necessary to bring about many more changes in the Constitution to keep up the march of progress and it is, at the same time necessary that all the progressive forces both within this House and outside must unite together to see how best the provisions of the Directive Principles, of the Constitution barring a few irrelevant can be implemented in the interest of the people. Such a polarisation of progressive elements is also necessary to thwart the efforts of the reactionary elements in the country who are out to obstruct this march of progress by taking advantage of the shortcomings and the weakness of the Constitution and who are trying to prevent the

*The original speech was delivered in Bengali.

proper implementation of the provisions of the various Constitution Amendment Acts. The question before us today is not the conversion of this House into a Constituent Assembly for the purpose of reframing the Constitution but the real questions before us today is whether or not we are going to amend the Constitution further, if necessary, to uphold the interests of the people and to implement the various measures that we have approved through the various amendments to the Constitution made so far, to put an end to the growth of the monopolists elements, the big-property and big money classes in this country and whether we are going to introduce radical changes in social, political and economic spheres of our country. The path before us has been cleared. We could not achieve these objectives before, but there is nothing that can prevent us now in pursuing our journey to progress and prosperity. It is not necessary for this purpose to convert this House into a Constituent Assembly Seated in this House we can amend the Constitution and on the basis of the amendment that have been made already, we can suppress the capitalists, monopolists and the big property classes in the country.

With these words, Sir, I conclude my speech.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): Mr. Chairman, there have been ten speeches made in the course of the debate and there have been many points which have been common and overlapping. I would like to say at the outset that I am not able to support the Resolution of Shri Bibhuti Mishra, nor am I in a position to accept the amendments moved to the Resolution by two other hon. Members.

The discussion in the debate shows that there is misunderstanding that once the Constituent Assembly is set up either by converting this Lok Sabha, or the next Lok Sabha as the amendment wants, into a Constituent Assembly, it is possible to bring about changes which, according to the hon. Members, are necessary to be brought about in the various provisions of the Constitution. The difficulties in the way of declaring the Lok Sabha, either this or the next Lok Sabha, a Constituent Assembly are not only legal but also practical.

I do not think it is necessary at all to declare the Lok Sabha a Constituent Assembly I agree with the hon. Members that the Constitution was evolved as a result of compromise, it was evolved as a result of circumstances existing at that time. I also agree that the present Lok Sabha is far more representative than the Constituent Assembly which framed this Constitution in as much as the Lok Sabha is elected by adult suffrage and represents the entire mass of this country. The Constituent Assembly was not elected on adult suffrage and included, I concede, the representatives of princes, the representatives of States, some of them nominated and some of them elected by indirect elections. But that does not mean that the Constitution which was framed and which has been here for the last 25 years or more, has not been the result of deliberations leading to the setting up of a democratic structure of government in this country. In spite of the many shortcomings which have been noticed from time to time in the constitutional framework, which have been established by the fact that as many as over 30 times the Constitution had been amended in the last so many years, the fact remains that the broad framework which was evolved by the Constituent Assembly still holds good, that it has taken into account the circumstances which are peculiar to this country, geographical as well as other, and the fact that

[Shri H. R. Gokhale]

it was necessary to evolve a structure which was federal in character, at the same time based on the parliamentary system of government, at the same time based on the principle of preserving the essential freedoms which have been embodied in Part III of the Constitution.

Therefore, I respectfully disagree with the hon. Members that basically the Constitution as a structure has failed to work satisfactorily. I think by and large the constitutional framework has worked satisfactorily. But, even then when the Constitution was framed the founding fathers envisaged, as indeed any constitution-maker would envisage in a written constitution, an amending process as a built-in process in the Constitution itself. That is why article 368 was introduced in the Constitution. As the debates of the Constituent Assembly would show, at that time everyone thought that the power of amendment was as wide as it could be and the Parliament had the power to amend any provision of the Constitution. No difficulty was experienced in exercising this amending power for a considerable length of time and a large number of amendments, including amendments to the Fundamental Rights, were carried on and we proceeded on the basis that Parliament's competence to amend the Fundamental Rights, or, for that matter any other provision of the Constitution, could not be questioned. It was only by a judicial interpretation that article had been interpreted in a narrow way so as to curtail the power of Parliament to amend certain provisions of the Constitution; the Parliament by virtue of the same amending process had to introduce an amendment to amend article 368 itself, which as the hon. Members would remember, is the 24th Amendment to the Constitution. Now by the latest judicial verdict it has been established that the Parliament has the power to amend all the provisions of the Constitution.

I know people will refer to the reference in the judgment to the basic features. Even there, what are the basic features has been indicated. For example, if anyone wants to say that democracy will be substituted by dictatorship, it is a basic feature, because democracy is a basic feature of our Constitution.

By making dictatorship taking the place of democracy, you will be touching the basic features of the Constitution. If you like to go to that extent that we have powers to introduce dictatorship in place of democracy, that certainly, according to the Supreme Court judgment, we are not able to change.

AN HON. MEMBER: Limited dictatorship.

SHRI H. R. GOKHALE: Not even limited dictatorship; whether you call it dictatorship or limited dictatorship

The basic features underlying the framework of the Constitution are that it will be a democracy, that there will be two Houses of Parliament, that people will be elected to Parliament on the basis of adult franchise so far as Lok Sabha is concerned, that it will be a Republic These are the basic features of the Constitution which, I suppose, no one who is a believer in democracy ever wants to be changed Therefore, the latest judgement of the Supreme Court, to the extent that it only refers to these matters as the basic features of the Constitution, does not in any way curtail or put a curb on the right of Parliament to amend any provision of the Constitution.

With regard to property right, in order that there should be no doubt in the minds of any critic of the judgment, one learned Judge, who struck a different note with regard to the basic features of the Constitution made it clear in so many words, in an independent paragraph, that no one need believe that he was referring to property right as one of the basic features

of the Constitution. You can amend property right; you can amend any fundamental right; you can amend any provision of the Constitution so long as, for example, you do not go to the extent and say that two Houses of Parliament are abolished: so long as you do not go to the extent and say that India will not be a Republic; so long as you do not go to the extent and say that, here, democracy is substituted by monarchy or dictatorship. Therefore, I for one, would have no quarrel with this limitation if this is the only limitation.

As far as I can see, the majority judgment puts only this limitation on the fundamental right, on the basic right of the Parliament to amend any provision of the Constitution. Under the circumstances, it has been recognised all along, even much before the Golak Nath case, in Sajjan Singh's case and in Shankari Prasad's case, and it has been argued and upheld by the Supreme Court that Parliament functions on two occasions in different capacities. For example, when it amends the Constitution, it functions as a Constituent Assembly body and, when it amends any other law or makes any other law, it functions as a Legislature. Therefore, this Parliament is a Constituent Assembly to that extent.

There is no question of making any declaration either so far as this Lok Sabha is concerned or the next Lok Sabha is concerned, as to say that it is declared as the Constituent Assembly so as to enable it to amend or frame a new Constitution. There is no difficulty whatsoever in making such amendments as the nation regards as mandatory in the interest of the people and as the representatives of people regard as necessary to be carried by an amendment of the Constitution.

There is a legal flaw also. As long as the Constitution stands, you can amend it only by the process given in the Consitution. Even if the Constituent Assembly is set up, supposing the Lok Sabha is declared as a Constituent Assembly—I am not going into the controversy as to whether it is this Lok Sabha or that Lok Sabha, whichever it may be—even then, the Constitution which it will frame, even if it frames a new Constitution, it will have to undergo the same process that is contemplated by article 368.

श्री मधु लिमये : 368 को संशोधित करके आप सविधान निर्मात्री समिति को बुला सकते है आप नो विद्वान आदमी हैं इसको जानते हैं।

SHRI H. R. GOKHALE: मैं विद्वान तो नहीं हूं लेकिन कहूगा जो कहा है वह ठीक है।

I do not agree. Even afterwards, it is necessary to follow the constitutional procedure of an amendment in order to bring out a new framework or a new pattern which is accepted. But this is an abstract thing only. The real thing is as to whether it is necessary or not. According to me, it is not necessary at all.

All these changes which Members pointed out in their speeches, different suggestions were made in the course of their speeches, could be made by the present Parliament. Therefore, with respect to the hon. mover of the Resolution and the hon. mover of the amendment, I submit that the Resolution proceeds on a misconception of the powers of Parliament. The Parliament is powerful enough to make such changes as it likes in order to adjust the present Constitution to the required situation which we might want to meet.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): That was conceived in the pseudo-radical euphoria that you have created.

SHRI H. R. GOKHALE: That actually establishes that Parliament exercises the power to bring about changes whenever those changes were necessary, including changes necessary to amend article 368.

I would, therefore, not be in a position to accept the Resolution. I would request the hon. Member to withdraw the Resolution for the reason that, if there are any changes which the Parliament requires to consider, they can be considered by this Parliament itself.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : चेयरमैन साहब मेरे प्रस्ताव की मंशा का बहुतों ने समर्थन किया है और दो एक आदमियों ने उस का विरोध किया है। जैसे माननीय जोशी जी ने विरोध किया है। अगर जमींदारी अबोलीशन से ले कर के आज तक इन का दल समर्थन किये होता तो हमारा देश कहीं आगे चला गया होता। लेकिन यह बराबर विरोध करते आये और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते रहे और तंग करते रहे। तो इन का यह कहना कि संविधान हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं है। यह गलत बात है और इस की पार्टी ने बराबर विरोध किया है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : हम ने विरोध नहीं किया जमींदारी अबोलीशन का बल्कि समर्थन किया।

श्री विभूति मिश्र : जनसंघ हमेशा स्टेटस को चाहता है।

श्री मधु लिमये : कोई भी आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सब लोगों का आप के प्रति आदर है।

श्री विभूति मिश्र : जब सरकार ने कोई उन्नतिशील कदम उठाया तो जनसंघ ने बराबर किसी न किसी रूप में विरोध किया। चाहे संविधान का संशोधन हो और चाहे सीलिंग का कानून हो या और कोई काम हो।

एक साहब ने कहा कि वक्त का फ़रमान नहीं चल सकता। महाभारत में लिखा है कि राजा काल का कारण है काल राजा का कारण नहीं है। अगर राजा चाहे तो काल को बदल सकता है सरकार काल को बदल सकती है। लेकिन सरकार को इस संविधान की वजह से बहुत मजबूरियां हैं जिस की वजह से सरकार के सामने दिक्कत होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग चले जाते हैं। इन दिक्कतों के कारण सरकार को मुसीबत हो जाती है। मैं न्याय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रोज आदमी पूजा करता है तो आदमी का दिमाग भी पूजा करता है लेकिन अगर किसी दिन कोई विशेष यज्ञ का काम शुरू हो जाता है तो उस के मस्तिष्क में एक विशेष स्थिति का जन्म होता है उस कार्य के लिये। इसी तरह से जब इस लोक सभा को कांस्टीटुयेंट असेम्बली बनायेंगे तो विधान की सारी गलतियां हमारे दिमाग में आयेंगी। यों सरकार ने भी सविधान में सशोधन करने की कोशिश की लेकिन किसी प्राइवेट मेम्बर के बिल को आज तक सरकार ने नहीं माना। अगर किसी प्राइवेट मेम्बर के बिल को सरकार कबूल करती तो सरकार कहती कि हम इस को इस रूप में मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इसकी शब्दावली ठीक नहीं है, अगर शब्दावली ठीक कर दी जाय तो हम मान लेंगे या दूसरी भाषा में सरकार स्वयं नया संशोधन ला रही है। लेकिन सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया।

यह जरूर है कि लोक सभा को अधिकार है और माननीय मधु लिमये जी ने कहा कि इस बार जो हम लोग चुनाव लड़े उस में साफ़ तौर से कहा नहीं गया कि संविधान में परिवर्तन करने के लिये हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस बनियाद पर हम लोग

बहुमत प्राप्त कर के आये कि गरीबी हटाओ और संविधान को बदलने के लिये जा रहे हैं और प्रिवी पर्स में जो हमारी हार हुई... (व्यवधान) आप जरा शान्ति से मेरी बात सुनें। मेरे कहने का मतलब है कि इस लोक सभा में पिछली लोक सभा से यह फ़र्क है कि हम इस बार चुनाव इसी आधार पर लडकर आये संविधान को बदलना है और गरीबी को हटाना है और जो संविधान मे अभी तक कठिनाइया होती थी उन को लेकर के यह चुनाव लड़ा है। इसलिये वाजिब है कि लोक सभा को विधान निर्मात्री परिषद् मे घोषित किया जाय। गरीबी हटाओ का नारा भी हम ने लगाया।

मैं मंत्री जी की भावना का आदर करता हूं लेकिन आज राष्ट्रपति को हम 10,000 रु० माहवार तनख्वाह देते है जब कि दूसरी तरफ देश में 70 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन पर हैं जो कि आज की कीमत मे 40 रु० है तो 40 रु० में और 10,000 रु० में ढाई सौ गुने का फ़र्क है। पहले हम स्वय विरोध करते थे कि वाइसराय को 22,500 रू० तनख्वाह नही देनी चाहिये, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को इतनी अधिक तनख्वाह नही देनी चाहिये, विनोबा जी को तो कोई तनख्वाह नही देते लेकिन जो इज्जत बिनोबा जी के लिये हमारे दिल में है वह शायद किसी के लिये हमारे मन में नही है। इस लिये आप की नीयत ठीक है, मैं मानता हूं यह लोक सभा सौवरेन बोडी है विमान में विमान परिवर्तन कर सकती है लेकिन मैं चाहता हूं कि इस विधान में जो स्वामी है उन के बारे में सब पार्टी के लोगों को बुला कर के पूछिये कि सविधान में क्या क्या हेरफेर चाहते है।

मेरा मंत्री जी को कहना है कि कोई आदमी जब गवर्नमेंट में जाता है तो वह आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है और जब सरकार से हट जाता है तो फिर प्रतिक्रियावादी नही रहता है। प्रतिक्रियावादी होने का कारण यह होता है कि जो लोग मंत्री के आसपास रहते हैं वह मत्री को घेरे रहते हैं इसलिये सरकार में रहने वाला आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है और सरकार में रहने से ही प्रतिक्रियावादिता आती है, इसलिये सरकार से अलग रहने पर जन जीवन का सुख दुख समझ में आता है।

सोवियट सविधान मे लिखा है कि :

"Art. 130:—It is the duty of every citizen of the USSR to abide by the Constitution of the Union of Soviet Socialist Republics, to observe the laws, to maintain labour discipline, honesty to perform public duties and to respect the rules of socialist society."

आप के सविधान में कोई ऐसी बात है? और यह भी है कि जो इसका पालन नही करेगा, आगे उस में लिखा है।

"Art. 131:—It is the duty of every citizen of the USSR to safeguard and fortify public, socialist property as the sacred and inviolable foundation of the Soviet system, as the source of the wealth and might of the country, as the source of the prosperity and culture of all the working people."

Persons committing crimes in respect of public, socialist property are enemies of the people."

हमारे विरोधी भाइयों ने जितने प्रदर्शन किए आप बताएं कि उनमें कितनी रेलगाड़ियां तोडी गईं कितनी बसें जलाई गईं और क्या संविधान में कोई विधान है कि जिसके तहत उनको पनिश किया जा सकता हो? नेशनल प्रापर्टी की इतनी हानि हुई लेकिन संविधान में गुंजाइश नहीं है कि उनके खिलाफ कारंवाई हो सके। आपने मी आर पी सी बना लिया

[श्री विभूति मिश्र]

और कोड बना लिये लेकिन वकीलो आदि के बखेडे मे पड कर मामला वहां का वहा रह जाता है। अगर इसके बारे मे कुछ प्रावधान कास्टीट्यूशन मे होता तो किसी को ऐसा करने की हिम्मत नही होती। शराब बन्दी को लेकर हम लोग जेलों मे गए। लेकिन आज शराब बन्दी होने के बजाय शराब की खपत बढ़ती ही चली जा रही है और लोगो को पीने की छूट मिलती जा रही है। सभी पार्टियो को मिल कर के सोचना होगा कि कास्टीट्यूशन मे क्या खराबिया है। हमारे विरोधी भाई भी देश भक्त है। उनको भी बुला कर आपको पूछना होगा। हमारे भाई अपने आपको बडे रेवोल्यूशनरी कहते है। जब रेवोल्यूशन के दिन थे तब आप मे मे बहुत मे आदमी तो थे ही नही और कुछ थे जो हम लोगो को पकडवाते थे। हम बूढ़े हो गए हैं, 72 वर्ष की मेरी आयु हो गई है लेकिन आज भी रेवोल्यूशन का वाजिब मौका आएगा तो हम पीछे नही हटेंगे।

श्री मधु लिमये मैं आजादी के पहले चार साल जेल मे रहा हू। पुर्तगालियो की जेल मे भी रहा हू।

श्री विभूति मिश्र मैं मत्री महोदय के कहे अनुसार अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हू। लेकिन एक बात मै उनमे कहना हू। वे वकील हैं। वकील की दृष्टि मे वह इसका न देखें। हिन्दुस्तान को नागरिक की दृष्टि मे, गाव वालो की दृष्टि से देखे। गाधी जी कहते थे कि अगर हमारे दिमाग मे वकालत की बात रहेगी तो जनता की भलाई हम नही कर सकेगे। आपको झुग्गी झोंपडी वालों की दृष्टि से इसको देखना होगा। दुनिया के और जो संविधान हैं उनको देख करके जरूरी जो सुधार हो उनको करना होगा। और इसी को आप कास्टीट्यूएट असैम्बली मानते है और कहते है कि इसको पूरी पावर्ज हैं तो ऐसे संशोधन आप लाएं ताकि देश का कल्याण हो सके। आपने ज्यादा मझसे पढ़ा है। लेकिन आप देखे कि दुनिया में रेवोल्यूशन हो गए। फैंच रेवोल्यूशन हो गया, दूसरे हो गए अगर आप भी वक्त के साथ नहीं बदले तो आप भले ही गद्दी पर बैठे रह जाएं, जनता हमारे हाथ से निकल जाएगी। जनता की मांग है कि संविधान को संशोधित करके इसको नया रूप दिया जाए।

इन शब्दो के साथ मैं आपकी आज्ञा से अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हू।

SHRI MADHU LIMAYE: I press my amendment

MR. CHAIRMAN: I will put your amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Daga has moved two amendments. He is not present But as they have already been moved, I have to put them to the vote of the House.

Amendments Nos. 2 and 3 were put and negatived.

SHRI BIBHUTI MISHRA: I seek the leave of the House to withdraw my Resolution.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House to grant leave to Shri Bibhuti Mishra to withdraw his Resolution?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Resolutions was, by leave, withdrawn.

---

17 55 hrs

RESOLUTION RE. ESTABLISHMENT OF CONVENTION WHEN GOVERNMENT SHOULD RESIGN

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Sir, I move that:

"This House resolves that a convention be established that the Government should resign if it fails to